[Secretery General]

in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the International Monetary Fund and Bank (Amendment) Bill, 1982, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 12th October, 1982."

Sir, I lay the Bill on the Table.

DISCUSSION UNDER RULE 176—

Report of the Second Backward Classes Commission.

श्री राम नरेश कुशवाहा : (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी,

हुकूमत का हाथी का दू दांत होला,
खाए के दोसर, देखाव के दोसर।

श्री उपसभापति : आप एक मिनट रुकिए कृपा करके। यह बहस दिन भर के लिए है। फिर हाफ्-एन-आवर डिस्कशन भी है। मेरे ख्याल से माननीय सदस्य थोड़ा-थोड़ा समय लें अपने विचारों को रखने में ताकि मिनिस्टर साहब को साढ़े 4 बजे बुलाया जा सके जवाब देने के लिए।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : समय कितना दिया है यह बता दिया जाय।

श्री उपसभापति : जो रहेंगे वह हर स्पीकर को बताते जायेंगे। साढ़े 4 बजे मिनिस्टर को काल किया जायेगा जवाब देने के लिए।

श्री भा० दे० खोबरागडे (महाराष्ट्र) : आपने बहुत कम समय दिया है। यह बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट है और आप इस पर बहस को दो घंट में खत्म करना चाहते हैं।

उद्योग मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : 5 घंटे हैं, 5 घंटे।

श्री भा दे खोबरागडे : लेकिन आप देखिये कि साढ़े बारह बज गये हैं।

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu) : Sir, this is a historical discussion. All sections of the House have been demanding a discussion on this for the last three or four Sessions. I do not think, this discussion can be concluded in a day. This should be carried on tomorrow also. This is my submission.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Not tomorrow.

SHRI B. D. KHOBRAGADE : I support what has been said by Mr. Gopalsamy. Two days should be allowed for this discussion. This is a very important discussion.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : We may conclude the discussion by 5 P.M. Don't waste the time.

SHRI V. GOPALSAMY : The different view points could not be projected in the proper manner.

SHRI B. D. KHOBRAGADE : It is not a question of wasting time. बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट को आप दो घंटे में खत्म करना चाहते हैं, यह सही बात नहीं है। यह तो दो दिन तक चलनी चाहिए।

श्री लाडली मोहन निगम (मध्य प्रदेश) : हाफ ऐंड आवर डिस्कशन के पहले ही अगर आप इस पर रोक लगा दीजिएगा तो यह अन्याय होगा। यह उसके बाद भी चलता रहे तो ठीक होगा।

श्री उपसभापति : थोड़ा समय और बढ़ा देंगे।

SHRI V. GOPALSAMY Sir, even on Calling Attention, we have taken three to four hours.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Please allow him to speak.

SHRI B. D. KHOBRAGADE My submission is that the half-an-

hour discussion should be postpond to tomorrow and we can continue this discussion till 7 or 8 P.M.

श्री रामनरेश कुशवाहा : चुनाव के पहले सरकार नारा देती है जय हरिजन, जय मुसलमान, जय पिछड़ा वर्ग ।

श्री कल्पनाथ राय : जय महिला ।

श्री रामनरेश कुशवाहा : जय महिला भी सही, लेकिन जब चुनाव हो जाता है तो नारा लगता है—क्षय हरिजन, क्षय मुसलमान, क्षय पिछड़ा वर्ग, क्षय महिला । पिछड़ा वर्ग आयोग पहले भी बना था जिसको काका कालेलकर आयोग कहते हैं । वह पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था । यह संविधान की धारा 340 के अनुसार 29 जनवरी 1953 को बना था और 30 मार्च 1955 को इसने अपनी रिपोर्ट दे दी । 3 सितम्बर 1956 को संसद् में यह पेश हुई लेकिन उस पर आज तक कोई बहस नहीं हुई । फिर जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसने अपने घोषणा पत्र के मुताबिक आरक्षण के लिये, चूंकि वह बचनबद्ध थी, इसलिये एक आयोग नियुक्त किया, जिसके अध्यक्ष थे विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल । उनकी नियुक्ति हुई थी 20 दिसम्बर 1978 को और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर 1980 को दे दी । मंडल जी ने बड़ी मेहनत की, आयोग ने बड़ी मेहनत की और एक विद्वत्तापूर्ण रिपोर्ट दी और कुछ सिफारिशें भी कीं । सरकार ने कार्यवाही के नाम पर उसको राज्य सरकारों के पास भेज दिया राय जानने के लिये । जब कभी किसी बात को टालना होता है तो उसको कहीं भेज दिया जाता है राय जानने के लिये या और किसी काम के लिये । अब मैं क्या कहूं । हम और आप सब गरीबों का भला चाहते हैं और उनके लिये बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको देते कभी कुछ नहीं हैं और इसी बात को लेकर मुझे एक कहानी याद आ रही है । एक लड़का रो रहा और वह अपनी मां से अचार मांग रहा था । उसकी मां उस से परेशान हो गयी थी । इतने में उसकी पड़ोसन पास आ गयी और उसने पूछा कि तुम्हारा बच्चा क्यों रो रहा है । क्यों तुम इसे रुला रही हो । तो उसकी मा ने कहा कि क्या करूं, लड़का अचार मांग रहा है और घर में अचार है नहीं । तो उसने कहा कि तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा, मैं दे देती । खैर, दूसरे दिन फिर वह लड़का अचार के लिये रोने लगा और मां को परेशान करने लगा । तो मा अपनी पड़ोसन के पास आयी और उसने कहा कि थोड़ा सा अचार दे दो, लड़का बहुत परेशान कर रहा है तो पड़ोसन ने कहा कि अगर मैं इस तरह से अचार बांटती रहती तो क्या मेरे घर में अचार रहता । अगर सरकार अपने वचनों को टालती नहीं तो यह दुर्गति हरिजनों की नहीं होती और देश में इतनी अशान्ति और अव्यवस्था न होती । शान्ति और व्यवस्था की समस्या ही यहां न खड़ी होती । लेकिन यहां तो वायदे किये जाते हैं और काम कुछ और किया जाता है । मान्यवर, मैं आप से कहना चाहता हूं कि पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का विरोध वे लोग करते हैं कि जो स्वयं आरक्षित है । जितने भी आरक्षण हैं जब से यह समाज बना तब से लागू हुए हैं और वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि मनुस्मृति के अनुसार हर वर्ण का पेशा बंधा हुआ है। ब्राह्मण का यह पेशा है, क्षत्री का यह पेशा है, वैश्य का यह है और शूद्र का यह है—

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा ।
दानं प्रतिग्रहश्चैव षट कर्मणामग्र जन्मनः।।

मनु० अध्याय 10, श्लोक 75 ।

इस के अनुसार पहले 6 कर्मों में तीन कर्म ब्राह्मण की जीविका से जुड़े हुए हैं—अध्यापक, यज्ञ कराना और दान लेना । इन तीन कर्मों को छोड़कर बाकी क्षत्री,

[श्री राम नरेश कुशवाहा]

वैश्य और शूद्र में बंटे हुए हैं। इन तीन कर्मों में से क्षत्री और वैश्य तीन कर्म ब्राह्मण के भी करेंगे और उसके साथ-साथ क्षत्री शस्त्र से जीविका अपनी चलायेगा। वैश्य खेती, पशुपालन और व्यापार करेगा। लेकिन अगर कोई शूद्र इन पेशों में अर्थात् किसी दूसरे के पेशे में चला गया तो राजा को चाहिए कि वह उसका सारा धन छीनकर राज्य से बाहर निकाल दे।

श्रीमन्, पुरोहित कौन होते हैं ? यह आरक्षित हैं ब्राह्मण के लिए।

श्री कल्पनाथ राय : जो विद्वान होते हैं ?

श्री राम नरेश कुशवाहा : आप भी बड़े विद्वान हैं लेकिन पुरोहिता करो तो जानें। आपको मैं मानता हूं कि आप ब्राह्मण माने जाते हैं लेकिन कोई आपको ब्राह्मण नहीं मानता। इसलिए मान्यवर, मैं आप से कहना चाहता हूं कि मनुस्मृति में अक्षरशः लिखा हुआ है कि समाज में जो कुछ भी धन दौलत है वह सारी को सारी ब्राह्मण की है। यह भी लिखा हुआ है कि अगर शूद्र के पास खाने से अधिक धन हो जाए तो राजा को चाहिए कि वह उससे छिनवा ले नहीं तो वह सवर्ण की अवज्ञा करने लगेगा।

श्री भा दे खोबरागड़े : उसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर दो शब्द ज्ञान के शूद्र सुन ले तो उसके कान में तप्त लोहा ड ल दिया जाए, अगर वह ज्ञान के लिए पढ़ना पढ़ाना चाहे तो उसकी जीभ काट दी जाए।

श्री उपसभापति : उनको बोलने दीजिए, आप काहे को बीच में बोलते हैं ?

श्री राम नरेश कुशवाहा : अगर वह मंत्र का उच्चारण करता है तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए, यह भी उसमें लिखा हुआ है। मैं माननीय सदस्य की बात मानता हूं।

मान्यवर, मैं यह कहता हूं कि आरक्षित जो लोग हैं वही आरक्षण का विरोध कर रहे है, यह कैसी विडम्बना है।.. (व्यवधान)

श्री उपसभापति : कृपया उनको बोलने दीजिए। माननीय सदस्य अपनी बारी में अपनी बात कहें।

श्री राम नरेश कुशवाहा : श्रीमन् उसमें लिखा है। ब्रह्म ब्राह्मण सभी वर्णों की लड़कियों को रख सकता है। क्षत्री तीन वर्णों की लड़की को रख सकता है। वैश्य अपने वर्ण की और शूद्र की लड़की को रख सकता है।... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : आप कहां विषय को ले जा रहे हैं ?

श्री राम नरेश कुशवाहा : मैं बता रहा हूं कि यह आरक्षण है, यह मनुस्मृति में आरक्षण है। ये वर्ण शूद्र की लड़की को रख सकते हैं लेकिन शूद्र किसी की लड़की को नहीं रख सकता है। इसलिए उस पर सबसे ज्यादा बलात्कार होता है।

इतना ही नहीं, न्याय में भी आरक्षण है। अगर ब्राह्मण किसी की हत्या कर देता है तो उसको देश से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर शूद्र की हत्या कोई करता है तो उसकी जान की कीमत वही है जो कुत्ता, बिल्ली नेवले आदि की है। यानी उनको कोई सजा नहीं है शूद्र की हत्या करने पर। यह आरक्षण इनके न्याय में है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पुरोहिती, जजमानी जो भी इनके काम हैं वह ये करते ही हैं लेकिन इन्होंने हमारे पेशे में भी दखल करली है। हमने इनके पेशे में दखल नहीं दिया, लेकिन इन लोगों ने अपने पेशे के साथ खेती, नौकरी, व्यापार आदि जो शूद्र का पेशा है इसको भी उन्होंने छीन लिया।

यह भी हमारे पास नहीं रहने दिया। यह है उनका आरक्षण। ये लोग आरक्षण के लिये क्या कहते हैं कि यह जातिवाद है। मैं पूछना चाहता हूं कि कुछ लोग कहते है कि हमारे धर्म शास्त्रों में बड़ी उदारता है, यह उदाहरण भी देते हैं :--

जन्मना जायते शूद्र: संस्कारात् द्विजउच्यते।
स्वाध्यायात् भवेत् विप्र: ब्रह्म जानाति ब्राह्मण: ।।

यह भी कहते है :

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागश:

लेकिन श्रीमन् यहां जन्म से ही सब बात होती है। सबसे पहले ब्राह्मणवाद का विरोध विश्वामित्र ने किया। उन्होंने अपनी बहन रेणुका की शादी जमदाग्नि से की लेकिन रेणुका की सन्तान को कोई भी ब्राह्मण, ब्राह्मण मानने को तैयार है? इसका विरोध ब्राह्मणवाद का विरोध विश्रमा ने दैत्य कन्या से शादी कर के किया। क्या आज भी ब्राह्मण के वंशज ब्राह्मण को ब्राह्मण मानने के लिये तैयार है?

श्री रामेश्वर सिंह : कल्पनाथ राय मानते हैं?

श्री राम नरेश कुशवाहा : इतना ही नहीं है क्षत्रियों ने विरोध किया। आज देशी क्षत्रियों ने बराबर ब्राह्मणवाद का विरोध किया। नतीजा यह हुआ कि राम आर्य शंकर के अराधकों को गालो दिया करते थे शिश्न देवी कह कर। राम ने विरोध किया और शंकर को ब्रह्मा और विष्णु के साथ त्रिदेव में स्थान दिलाया। कृष्ण ने विरोध किया और आर्यों के इंद्र देवता जो सबसे बड़े देवता थे आर्यों के, उसको उन्होंने देवता की पदवी से हटा दिया। गौतम बुद्ध आए और इस पाखंड का ब्राहमणवाद का खंडन किया। नतीजा क्या हुआ? विश्वामित्र की रेणुका के वंशज रावण के वंशज, राम के वंशज, कृष्ण के वंशज सभी अपनी जाति से च्युत कर दिये गये। आज कोई क्षत्रीय नहीं है, न कोई ब्राह्मण है। वह अपने आप कहा करे कि हम ब्राहमण है, क्षत्रिय हैं लेकिन आज उनको कोई मानता नहीं है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि जब मनुस्मृति में यह आरक्षण है...

श्री भा० दे० खोबरागडे : परसुराम ने क्या किया?

श्री राम नरेश कुशवाहा : कहानी को बढ़वाइये नहीं, समय थोड़ा है। चेयरमैन साहब नहीं तो घंटी बजा देंगे। इसलिये मैं कहना चाहता हूं...

श्री उपसभापति : मंडल कमीशन पर आइये। इस तरह की विस्तार की बाते छोड़िये। समय बर्बाद हो जायेगा।

श्री राम नरेश कुशवाहा : कोई अपने को हिन्दू कहता है और मनुस्मृति को मानता है तो फिर किसी भी हिन्दू को आरक्षण का विरोध करने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं किसी कांग्रेसी को भी विरोध करने का अधिकार नहीं है इसलिये कि 66 प्रतिशत आरक्षण किया कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने और कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष श्री देवराज अर्स ने। आप फिर कैसे विरोध करेंगे। मै आपसे कहना चाहता हूं कि फिर एक झंझट पैदा होता है कि पिछड़ा है कौन? कुछ लोग कहते हैं कि केवल दो ही वर्ग हैं गरीब और अमीर। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया में दो महापुरुष एक ही समय में पैदा हुए।

SHRI V. GOPALSAMY : We were the pioneers. We in Tamil Nadu introduced it first.

श्री राम नरेश कुशवाहा : जर्मनी में मार्क्स और हिन्दुस्तान में स्वामी दयानन्द सरस्वती पैदा हुए। मार्क्स के सामने ईसाई समाज था। उसके सामने हिन्दू का जातिभेद नहीं था, विकास हो रह था और मजदूर इकट्ठे हो रहे थे

[श्री राम नरेश कुशवाहा]

एक तरफ पूंजीपति बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ मजदूरों का शोषण बढ़ रहा था। इधर स्वामी दयानन्द सरस्वती ने हिन्दुस्तान में ब्राह्मणों के पाखंड से व्याप्त समाज को ऊपर उठाने का बीड़ा उठाया और सत्यधर्म का प्रचार किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर मार्क्स हिन्दुस्तान में होते तो जो स्वामी दयानन्द ने किया वही मार्क्स करते और स्वामी दयानन्द अगर जर्मनी में होते तो मार्क्स ने जो वहां किया वही स्वामी दयानन्द करते। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में पिछड़ा वर्ग को जगाने का काम महात्मा ज्योति पुले ने किया। केरल में नारायण स्वामी ने किया, तमिलनाडु में रामास्वामी नायकर ने किया। गांधी ने किया, डाक्टर अम्बेडकर ने किया, डाक्टर लोहिया ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप देखिये कि पिछड़ा कौन है और अगला कौन है?...(व्यवधान)। श्री कल्पनाथ जी कहेंगे कि सिर्फ दो वर्ग हैं--एक गरीब का और एक धनी का। लेकिन हिन्दुस्तान में चार वर्ग हैं। एक धन बढ़ू, एक मन बढ़ू, एक धन-हीन और एक मनहीन ...(व्यवधान)। हो सकता है, आपके अनुसार पांच वर्ग हों। यह सब जानते हैं कि मनहीन वही है जिसके 80 साल के बूढ़े को भी मन बढ़ू या धन बढ़ू का पांच वर्ष का लड़का भी गाली दे दे तो वह सहन कर लेता है। उसकी समझ में ये लोग बड़े हैं, सीनियर हैं। लेकिन 80 वर्ष का बूढ़ा किसी बच्चे को भी कुछ कह दे या 'रे' कह दे तो कहा जाता है कि उसकी चर्बी बढ़ गई है, वह बदतमीज हो गया है, बदमाश हो गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पिछड़ा वर्ग वही है जो धनहीन है और मनहीन है। मन बढ़ू या धन बढ़ू पिछड़ा वर्ग नहीं हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बाबू जी धनहीन हैं? क्या बाबू जगजीवन राम की पद प्रतिष्ठा कम है?

श्री कल्प नाथ राय: करोड़पति हैं।

श्री राम नरेश कुशवाह : यह आप कह रहे हैं। जब उन्होंने वाराणसी में डा० सम्पूर्णानन्द जी की पत्थर की मूर्ति का अनावरण किया तो पंडित कमलापति त्रिपाठी के लड़के श्री मायापति त्रिपाठी ने उसको गंगा जल से धुलवाया ... (व्यवधान)

SHRI B. D. KHOBRAGADE : It is very shameful. Shame !

श्री राम नरेश कुशवाह : अगर आप पत्थर की मूर्ति को गंगा जल से धो रहे हैं तो बाबू जी के साथ तो श्री कमलापति त्रिपाठी और सम्पूर्णानन्द जी ने पता नहीं कितनी बार खाना खाया होगा। इस तरह तो बाबू जगजीवन राम के साथ खाने से उनकी नस-नस और हड-हड पता नहीं कितनी अपवित्र हो गई होगी। उनकी अपवित्रता को दूर करने के लिए तो उनका सारा शरीर गंगा में डूबाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है ...(व्यवधान)।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको आरक्षण तो करना ही है। जब आप आरक्षण भोग रहे हैं तो दूसरों को कैसे रोकेंगे? लेकिन अगर तर्क के लिए मान भी लिया जाये कि आप जिस आधार पर आरक्षण कर रहे हैं, वही आधार सही है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि चाहे खरबूजे पर छुरी गिरे या छुरी खरबूजे पर गिरे, कटेगा तो खरबूजा ही। आप जिस आधार पर भी आरक्षण दीजिये वह हमको ही पाना है। आप मनु-स्मृति के आधार पर आरक्षण दीजिये, हमें कोई ऐतराज नहीं है। मैं पहले मनु-स्मृति का विरोध करता था, लेकिन अब उसका

पूरा समर्थक हो गया हूं। मनु-स्मृति के अनुसार तो वैश्य और शूद्र को खेती, नौकरी और व्यापार करना चाहिये। ब्राह्मणों को खेती, नौकरी और व्यापार छोड़ देना चाहिये। आप योग्यता के अनुसार करना चाहते हैं तो कीजिये। जो डाक्टर बनने लायक है उसको डाक्टर बनाइये और जो कलैक्टर बनने लायक है उसको कलैक्टर बनाइये। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि खेत जोतने के लिये भी कोई क्वालीफिकेशन है या नहीं? कौन हल जोतने लायक है? जो लोग हल को छूना भी पाप समझते हैं उनको जमीन रखने का क्या अधिकार है? आप कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिये। हमने इसके लिए कब मना किया है? हम कहते हैं कि लाभकर खेत जोतने वाला किसान, इनकम टैक्स देने वाला व्यापारी और 500 रु० से ज्यादा तनख्वाह पाने वाला कर्मचारी, इनकी जितनी संख्या है, उसका आप आरक्षण कर दें और ब्राह्मण जितनी संख्या में हैं उनके अनुपात से आप उनका भी आरक्षण कर दें और बाकी सब लोगों के लिये छोड़ दें। हरिजनों के लिये तो तो आरक्षण है ही। यह लोकतन्त्र है, ब्राह्मण तन्त्र नहीं है। जाति के

1 P. M. आधार पर देश नहीं चल सकता है। मान्यवर, आर्थिक आधार पर... (व्यवधान)...

श्री उपसभापति: कृपया इनको समाप्त करने दीजिये। लंच का समय है। आप जरा संक्षेप में कहिये।

श्री राम नरेश कुशवाहा: हमारे आरक्षण से अगर ज्यादा तकलीफ हो रही है तो मान्यवर उन्हीं का आरक्षण कर दीजिये। कानून इसमें बाधा नहीं डालेगा। क्योंकि आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकता है। हरिजनों का आरक्षण है, उनकी जितनी जनसंख्या है, उसके आधार पर 5 प्रतिशत उनको बोनस देकर आरक्षण कर दीजिये वह 50 प्रतिशत से कम होगा और कोई इसमें बाधा नहीं रहेगी। बाकी जो बच गया उसको सब लोग बांट लेंगे। अगर आप इसको आर्थिक आधार पर करना चाहते हैं तो एक आदमी एक रोजगार, खेती नौकरी या व्यापार तय कर ले और आरक्षण कर दीजिये। एक ही आदमी आज खेती, नौकरी और व्यापार समेटे हुआ है। गरीब आदमी मन-हीन है, धन-हीन है। धन बढ़ू, मन बढ़ू लोगों ने और इसीलिये उन्होंने अपना एकाधिकार बना रखा है। खेती, नौकरी और व्यापार तीनों उनके हाथ में बने रहे और गरीब लोग आपस में लड़ते रहे यही वह चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आर्थिक आधार पर अगर आप आरक्षण करना चाहते हैं तो सरकार तय करे और आज ही घोषणा करे कि हम आर्थिक आधार पर आरक्षण करना चाहते हैं, एक आदमी एक रोजगार, खेती, नौकरी या व्यापार की आप घोषणा करें तो श्रीमन्, इसमें हमको कोई ऐतराज नहीं है। फिर संविधान में जो दिया हुआ है कि सामाजिक, शैक्षणिक और पिछड़ेपन के आधार पर आप हमको आरक्षण दीजिये। आप क्यों नहीं देते? जब सरकार आरक्षण किये हुये है, अपना आरक्षण किये हुये है तो हमारा क्यों नहीं? मान्यवर, आरक्षण के बिना...

श्री उपसभापति: आप कितना समय और लेंगे।

श्री राम नरेश कुशवाहा: मुझे आप बोलने दीजिये।

श्री उपसभापति : मेरे ख्याल से दो-चार मिनट से ज्यादा अब आप न लेंगे।

श्री राम नरेश कुशवाहा : अभी श्रीमन्, हमको बोलने दीजिये। मैं मूवर हूं। अगर आपको लंच की सख्त जरूरत हो तो आप एडजर्न कर लीजिये, लेकिन हमको कहने दीजिये, लंच के बाद मैं कहूंगा।

श्री उपसभापति : सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

The House then adjourned for lunch at two minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at three minutes past two of the clock, the **Vice-Chairman, [Dr. (Shrimati) Najma Heptulla,]** in the Chair.

श्री राम नरेश कुशवाहा : माननीय उपसभाध्यक्षा जी, जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो बहुत हमको उपदेश दिया जाता है, बहुत धर्म-शास्त्र बताये जाते हैं। यह सही है कि धर्मशास्त्र में दोनों तरह की चीजें हैं, हम भी खोल सकते हैं आप भी बोल सकते है। लेकिन वास्तविकता क्या है इस पर हमें गौर करना पड़ेगा।

कथनी कथे अगाध के भय मर्ग के गिद्ध,
नहूं के चारा धरती परे तो उड़ ले हो जई है सिद्ध।

तो केवल यह कहने से काम नहीं चलेगा। धरती पर तो उतरना पड़ेगा। जातिवाद कौन करता है, इसका मैं थोड़ा सा दर्शन आप से कराना चाहता हूं? इस पर सही सटीक उर्दू की कविता बैठती है—

हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा भी नहीं होता।

जरा देखिये, रोजगार की क्या हालत है। करनी और कथनी में क्या अन्तर है।

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : यह सरकार से कह रहे हैं या चेयर से कह रहे हैं।

उपसभाध्यक्षा [डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला]: चेयर के थ्रू सरकार से कह रहे हैं।

श्री राम नरेश कुशवाहा : राष्ट्रपति के सचिवालय में 49 प्रथम श्रेणी के कर्मचारी हैं इनमें पिछड़े वर्ग का एक भी नहीं है। उपराष्ट्रपति के सचिवालय में सात हैं, इसमें पिछड़े वर्ग का एक भी नही। प्रधान मन्त्री के कार्यालय में 35 हैं जिसमें एक पिछड़े वर्ग का है। मंत्रिमंडलीय सचिवालय में 20 प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं, उनमे केवल एक पिछड़े वर्ग का है, परमाणु ऊर्जा विभाग में 34 हैं इसमें पिछड़े वर्ग का कोई नहीं है, नागरिक आपूर्ति और सहकारिता में 61 प्रथम श्रेणी के अफसर हैं इनमें एक भी नहीं है। संचार मंत्रालय में 52 आते हैं, जिसमें एक भी नहीं है, पिछड़े वर्ग का, इलेक्ट्रानिक्स में 92 जगहें हैं, उसमें केवल दो पिछड़े वर्ग के हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 240 जगह हैं, जिनमें एक भी पिछड़े वर्ग का नहीं है, गृह मंत्रालय में 409 जगहों में केवल 13 आदमी हैं पिछड़े वर्ग के, संसदीय कार्य विभाग में 18 अफसर हैं जिनमें एक भी पिछड़े वर्ग का नहीं है, पेट्रोलियम और रसायन में 121 जगहें हैं, एक भी पिछड़े वर्ग का नही है। कुल 11707 प्रथम श्रेणी की जगहों में केवल 303 पिछड़े वर्ग के लोग हैं।

अब जरा दूसरी ओर देख लीजिये। गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर कुल 27 हैं जिसमें 13 ब्राह्मण, 50 प्रतिशत। गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के सचिव

24 हैं जिनमें 13 ब्राह्मण 56 प्रतिशत। चीफ सेक्रेटरी 26 जिसमें 14 ब्राह्मण हैं, 56 प्रतिशत। भारत सरकार के मंत्री हैं 18 जिनमें 9 हैं ब्राह्मण 50 प्रतिशत। सभी राज्य मंत्री मिला करके 61 हैं जिन में 37 ब्राह्मण हैं, 56 प्रतिशत हैं। सचिव, अतिरिक्त सचिव अथवा समकक्ष पद पांच सौ के करीब हैं, इनमें 320 अकेले ब्राह्मण हैं, 64.5 प्रतिशत। विश्वविद्यालयों के कुलपति 98 हैं जिसमें 50 ब्राह्मण हैं, 57.5 प्रतिशत। सुप्रीम कोर्ट के जजेज 16 हैं जिनमें 9 ब्राह्मण हैं, 56 प्रतिशत। हाईकोर्ट के जज और एडीशनल जजेज 336 हैं जिनमें 169 ब्राह्मण हैं, 50.9 प्रतिशत। राजदूत और उच्चायुक्त 140 हैं जिनमें 50 ब्राह्मण हैं 41.5 प्रतिशत। केवल यही एक है जिसमें 50 प्रतिशत से कम हैं।

स्टेंडिंग कारपोरेशन एण्ड पब्लिक इंटर-प्राइजेज के चीफ एक्जीक्यूटिव केन्द्रीय सरकार के 158 हैं जिनमें 91 ब्राह्मण हैं, 57 प्रतिशत और राज्यों में 17 हैं जिनमें 14 ब्राह्मण हैं 82 प्रतिशत।

अभी हमारे माननीय कलराज मिश्र नहीं हैं, वे कह रहे थे कि आप ब्राह्मण का ही नाम क्यों लेते हैं। अब मैं क्या कहूं? सेना जब जीतती है तो नाम सेनापति का होता है और जब हारेगी तब किसका नाम होगा? यह तो केवल कांग्रेसी राज में होता है। अगर सेनापति हार जाये तो निकाल दिया जाता है और अगर जीत जाये तो प्रधान मंत्री भारत रत्न बनती हैं। रक्षा मंत्री को नहीं पूछतीं। इसलिए कि वह चमार है तो यह मैं आपने कहना चाहता हूं कि हूं कि आज भी ब्राह्मण इस समाज का अगुआ है, उसी का नियंत्रण आज भी है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बेटे और पतोहू का गौना कराकर भी आप उसे बिना ब्राह्मण की इजाजत के नहीं मिलने दे सकते हैं। तो इतना नियंत्रण जब आपने समाज पर रखा है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि समाज को अगर गड्ढे में धकेला गया तो उसका श्रेय किसको जायेगा, आपको जायेगा या दूसरे को जायेगा। उनका इशारा कुछ क्षत्रियों की ओर था तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि वे बेचारे केवल हथियार हैं ब्राह्मणों के हाथ में। हम लोगों को मारने भर के हथियार हैं: "स्वार्थ, सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार बाज पराये पानि पर तू पक्षी नूं न मार" अकारण धन छीनते हैं, शूद्र को गाली सुनाते हैं और मजा मिलता है, पंडित को तो इसलिए मैं इनको क्या कहूं? ये अपने गवांरपन में हमारे ऊपर डंडे चलाते रहते हैं। इसलिए असली गुरु तो आप हैं, इसलिए कहें किसको? गुरु को ही कहना पड़ेगा, आपका ही नियंत्रण तब भी था आज भी है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं।

मेरिट का कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं। मान्यवर, जब अंग्रेज यहां थे जो कि 15 अगस्त 1947 को गये, तो उसके पहले एस. पी कलेक्टर कोई हिंदुस्तानी नहीं था। ऊपर के पदों को तो छोड़ दीजिए। तो सारे के सारे जो लोग लायक बैठे हुए हैं गद्दियों पर और कहते हैं कि हम लोग मेरिटोरियस हैं तो अंग्रेजों के जमाने में ये सब के सब नालायक थे क्या? और अंग्रेजों के जाने के बाद सब लायक हो गये और यह काले अंग्रेज हट जांय तो हम लोग भी सब लायक हो जायेंगे। सवाल यह है कि आपने हम लोगों को पढ़ने मौका ही कब दिया कि हम अपनी योग्यता दिखायें। आपने हम को पढ़ने से रोक दिया, हमारे पढ़ने

[श्री राम नरेश कुशवाहा]

पढ़ाने पर रोक लगा दी। हम पढ़ नहीं सकते। हमारे लिये दूसरे व्यवसायों पर रोक लगा दी। मेरिट की जो बात कह दी वह भी हम लोगों को निकालने के लिये कही गयी। आज मेरिट का प्रश्न उठाना बेकार है और आज मैं जानना चाहता हूं कि मेरिट कहां है। क्या यह कोई छिपी हुई बात है कि आज कितने लोग नकल करके पास हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी में कौन टाप करता है? हेड आफ दि डिपार्टमेंट के चहेते या उन की जात बिरादरी का आदमी या उनका रिश्तेदार...

एक माननीय सदस्य : या उनका होने वाला दामाद।

श्री राम नरेश कुशवाहा : हां, हो सकता है। आज इंटरव्यू और साक्षात्कार किस लिये किया जाता है? अपनी पसंद का उम्मीदवार छांटने के लिये। देखकर सुनकर ज्यों ही पता लगता है कि यह हमारी जाति का नहीं है उसको निकाल दिया जाता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। इलाहाबाद में एक यादव जुडिशियरी में कंपीट करके आ गया। लेकिन उसको इंटरव्यू में इसलिये निकाल दिया गया कि वह नाटा था। वह मेरे पास आया था। अरे भाई, जुडिशयरी में, डाक्टरी मे, मुसिफी में अगर आप को मेरिट वाले लेने हैं तो उसमें नाटे और लम्बे आदमी को लेने न लेने की बात कहां से आती है। उसको तो विषय का ज्ञान हो होना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : देखने में भी सुन्दर होना चाहिये।

श्री राम नरेश कुशवाहा : आपने काला तो चेहरा देख रखा है, हम कहां से सुन्दर होंगे। तो यह साक्षात्कार और जबानी इम्तिहान केवल इसलिये हुआ करता है कि केवल आप को जातिवाद बढ़ाना है और अपने चहेते लोगों को सेलेक्ट करना है और ऐसे लोगों को आप अधिक नम्बर दे कर उनको मेरिट लिस्ट में लेने के लिये आप ऐसा करते हैं। क्यों नहीं आप मेडिकल रिपोर्ट मंगा लेते कि आप का कैंडीडेट काना है, लगड़ा है या लूला है, इतना लम्बा है इतना चौड़ा है। आपको उन सबका मेडिकल करवा कर मंगा लेना चाहिये। अगर वह ठीक है और इम्तिहान में पास हों तो उनको ले लीजिये, लेकिन आज इंटरव्यू केवल इसलिये किया जाता है कि गरीबों के लड़कों को छांट दिया जाये और अपने चहेतों को छांट कर ले लिया जाये और उसके बाद वे कहते हैं कि हम बड़े मेरीटोरियस हैं। थोड़े दिन पहले मैं एक जगह गया। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से मैं भी एक अध्यापक हूं। वहां गणित का इम्तिहान था और वही एक गणित के अध्यापक देख रहे थे कि कोई हिसाब लगा दे तो वह लड़कों को बता दें। जब मास्टरों का यह हाल है तो मैं समझता कि कुछ दिनों में यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे। जो मेरीटोरियस बनकर आ रहे है क्या उन की मेरिट को आप मेरिट कहेंगे। वैसे इक्का-दुक्का आज भी मेरिट वाले मिल जायेंगे, लेकिन वे कितने हैं। आज मेरिट वाले वह है कि जिन में मां और बाप और रिश्तेदार इम्तिहान देते हैं। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमारे न मां और न बाप ही पढ़े हुये हैं और उसके बाद भी आप मेरिट के नाम पर हम गरीबों को हटाना चाहते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर आप गरीबों को अपना उनका हक नहीं देंगे,

उनको उठने का अवसर नहीं देंगे तो समाज में कटुता फैलेगी। समाज में जितनी विषमता है, उस को अगर आप कम करने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो उस से कटुता फैलेगी और उसका नतीजा क्या होगा। मैं नहीं चाहता कि वह दिन आये और वह दिन देखने को मिले कि जो तमिलनाडु में हो रहा है कि जहां असेम्बली में एक भी ब्राह्मण चुन कर नहीं जा पाता। क्या आप चाहते हैं कि पिछड़ी जातियों में भी ब्राह्मणों के प्रति इसी प्रकार की नफरत पैदा हो। अगर आप उनको सुविधायें नहीं देंगे तो वे लड़कर लेंगे, सरकार पर कब्जा कर के लेंगे और अगर ऐसा होगा तो हो सकता है कि तमिलनाडु की तरह आप के यहां भी एक ब्राह्मण यहां न आ पाये। तो आप इस चीज को मत बढ़ाइये। मैं गरीब सवर्णों से कहना चाहता हूं, जो धनहीन है उनको कहना चाहता हूं कि वे हमारे साथ ही ऊपर उठें। उत्तर प्रदेश में 15 प्रतिशत आरक्षण किया गया है, बिहार में 20 प्रतिशत किया गया। तोड़-फोड़ शुरू हो गया। गरीब सवर्णों को किसने बहकाया? इन्हीं धनबढ़ू, मनबढ़ू लोगों ने। मैं कहना चाहता हूं धनहीन लोगों के साथियों, एक बात याद रखना, तुम हमारे 15 परसेंट के लिये उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हो, 15 परसेंट में से 5 परसेंट ले लेंगे, लेकिन 50 परसेंट किसके लिये रह जायेगा? बड़ी जाति के धनी लोगों के लिये। हम यह कह रहे हैं कि हे बड़ी जाति के धनहीन लोगो, बड़ी जाति के धनबढ़ू और मनबढ़ू लोग आपका हक लूटना चाहते हैं। अगर धनबढ़ू-मनबढ़ लोग अपने विचारों में ईमानदार हैं, आर्थिक आधार पर आरक्षण करते हैं तो आज करें, अब करें और एक रोजगार, एक पेशे की नीति का पालन करें, सारा झगड़ा खत्म हो जायेगा। न हमे दें, अपनी ही बिरादरी के किसी आदमी को दे दें। नहीं देंगे। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि हम लड़ते रहेंगे और अमीर मौज करेंगे। मैं आप से कहना चाहता हूं कि अब यह लड़ाई का धन्धा बन्द होना चाहिये और बड़ी जाति के भाइयों को सोचना चाहिये कि हम इनसे लड़ कर नहीं ले सकते, हम इनसे मिल कर अधिक से अधिक हिस्सा ले सकते है। किसी भी आधार पर आरक्षण हो जाये, हमें कोई ऐतराज नहीं। दें तो सही।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अंग्रेजी भाषा की वजह से बड़ा भारी अनर्थ हुआ है, लिखे रहिमन, पढ़े करीमन। अंग्रेजी में तुरहा और तुर्रहा की एक ही स्पेलिंग हो गई।

SHRI V. GOPALSAMY : Madam, Vice-Chairman, how is this relevant to the discussion on Mandal Commission Report ?

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA] : Let the Minister answer.

श्री राम नरेश कुशवाहा : चनऊ को चानोऊ लिखा जाता है।

उपसभाध्यक्ष [डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला] : आप अपनी बात को कहिये, स्पेलिंग में क्यों जाते है।

SHRI V. GOPALSAMY : If the hon. Member wants to discuss the issue of Hindi vs. English, I can also do it. You should kindly instruct the hon. Member to speak on the Mandal Commission Report. Where does the language issue come in ? Later in the afternoon we are going to have that discussion. Then he can raise this issue.

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA] : Please sit down just now. You please speak from your seat.

श्री राम नरेश कुशवाहा : कमकर एक जाति है, जो हिन्दी में लिखा जाता है, उसके लिए छपा है कामकार। एक राजभर है, उस को राजभार लिखा हुआ है।

उपसभाध्यक्ष [डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला] : इस का तालुक हो तो जरूर कहिए।

श्री राम नरेश कुशवाहा : ताल्लुक है। इस रिपोर्ट को बनने दिया....

SHRI V. GOPALSAMY : I strongly support the cause of backward classes. That is a different thing. I support the hon. Member in defending them. But unnecessarily he brings in other issues.

THE VICE-CHAIRMAN : [DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA] : Please do not interrupt him.

SHRI V. GOPALSAMY : Dose the hon. Member want to make a dent in Madras and in the South ? You will never be able to enter there.

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA] : Please do not interrupt him while speaking.

SHRI RAM NARESH KUSHAWAHA : My friend, I know English no less than what you know. I know more English than you.

SHRI V. GOPALSAMY : You are a Hindi fanatic and that is why you are speaking like that.

श्री राम नरेश कुशवाहा : शिवहरे का शिवहारी लिखा हुआ है, महतो का लिखा हुआ है महतो। उत्तर प्रदेश में देखिये, चौरसिया को इसमें लिखा हुआ है "चौरासिया"। "कुशवाहा" को "कुशवा" "मौर्य" को "मौरिया", माझी" को "माजही" और "कोइरी" को "कोरी" लिखा हुआ है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह जो स्पैलिंग की गड़बड़ी है इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री भा० दे० खोबरागड़े : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं।...

उपसभाध्यक्ष [डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला] : आप उनको बोलने दीजिए। कुशवाहा जी कृपया समाप्त कीजिए।

श्री राम नरेश कुशवाहा : तो यह जो स्पैलिंग की गड़बड़ी है वह दुरुस्त की जाए। अगर यह दुरुस्त नहीं किया जाएगा तो पिछड़ी जातियों को स्पैलिंग मिस्टेक की वजह से छोटे-छोटे अफसर कोई लाभ नहीं लेने देंगे।

अन्त में मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया और मैं आपके द्वारा अपने बन्धुओं से कहना चाहूंगा कि बिना विचार किये, बिना दल का, बिना किसी ऊंच-नीच का या किसी तरह का धर्म-जाति का विचार किये, राष्ट्रीय हित की दृष्टि से पिछड़ा वर्ग आयोग को लागू कराने की सिफारिश कीजिए। मैं जोरदार मांग करता हूं इसके लिए और अगर यह नहीं हुआ तो देश में बहुत बड़ी आग लग जायेगी जिसको बुझाना सरकार के बस की बात नहीं रहेगी।

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA] : Dr. Fafiq Zakaria.

DR. RAFIQ ZAKARIA (Maharashtra) : Madam, I hope I have your permission to speak from this front bench.

THE VICE-CHAIRMAN : [DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA] Yes. If you want to raise an objection, it is better that you do it from your own seat, because I have to remember.... *(Interruptions)*

DR. RAFIQ ZAKARIA: Madam Vice-Chairman, this is indeed an important discussion which deserves very serious consideration from all sides of the House, and that is why there has been a persistent demand

that the Mandal Commission should be discussed, and discussed, as far as possible, in depth, so that we are able to come to some conclusions as far as the basic approach in this regard is concerned.

Madam Vice-Chairman, before I go to the Mandal Commission, you will permit me to refer to article 340 of the Constitution which is the basis of the appointment of the Mandal Commission as it was the basis of the appointment in 1953 of Kaka Kalelkar Commission. Now, Madam, in that article the founding fathers have very wisely used the words "to investigate the conditions of socially and educationally backward classes within the territory of India and the difficulties under which they labour, and to make recommendations", so on and so forth. When article 340 was under discussion in the Constituent Assembly, many leading Members expressed their apprehension that this article might lead to the perpetuation of casteism and giving advantage to certain groups. Among those who expressed these apprehensions were such stalwarts like Dr. Shyama Prasad Mukherjee, Prof. K. T. Shah and Prof. Shibban Lal Saxena. And, therefore, some Members even moved an amendment that in this article the word "economically" should also be included. And I have here the reply that the then Prime Minister Pt. Jawaharlal Nehru gave to this discussion, and I may be permitted to quote at length, because it strikes at the very root of what we are grappling with. Pt. Nehru said :

"One of the main amendments and ideas put forward is in regard to the addition of the word 'economically'....."

"Frankly, the argument put forward with slight variation, I would accept but my difficulty is this that when we chose those particular words there, that means in article 340, for the advancement of any socially and educationally backward classes, we chose them because they occur in article 340....."— this is another article to which Panditji was referring—"..and we wanted to bring them bodily from there. Otherwise, I would not have had the slightest objection to add 'economically'. But if I add 'economically', I would at the same time not make it a kind of cumulative thing but would say that the person who is lacking in any of these things should be helped; socially is a much wider word including many things and certainly including 'economically'. Therefore, I feel that 'socially' and 'educationally' really cover the ground and at the same time you bring out a phrase used in another part of the Constitution in a slightly similar context. Therefore, we adhere to that although I entirely agree with what Prof. Shah and Prof. Sibban Lal Saxena said about people who are economically backward being helped."

And then Panditji dealt with the argument of Dr. Shyama Prasad Mukherjee. "I think, it was again Dr. Shyama Prasad Mukherjee who said that these provisions should be used in a reasonable manner." Panditji continued :

"Yes, undoubtedly, of course. I do not know how the putting of those words here is going to help because the idea is bound to be there. If a thing is used unreasonably, then it is wrong, if it is merely used to perpetuate, to give unfair advantage to some. After all, the whole purpose of the Constitution as proclaimed in the Directove Principles is to move towards what I may say a casteless and classless society. It may not have been said precisely in that way but that I take as its purpose, and anything that perpetuate the present social and economic inequalities is bad."

Now, Madam Vice-Chairman, the Mover of this Resolution, Mr. Ram Naresh Kushawaha.....

श्री भा० दा० खोबरागडे : वह यह कह देंगे कि ना में भी हिन्दी में बराबर बोल नहीं सकते अंग्रेजी में ।

DR. RAFIQ ZAKARIA : Thaak you for reminding me of what I lack. The Mover gave us the whole background, going right down to Manusmriti, which was the basis of the various castes. And he indulged in rather graphic descriptions. Now, it may be relevant as far as our understanding the social backwardness in this country is concerned. But what we have to bear in mind is also the fact that while casteism has been the cause of the exploitation of some members of a particular class and of others enjoying certain privileges, I don't think historically also it can be established that, for instance, all members of a particular caste enjoyed all those privileges all the time. Now, there is a historical background to the whole movement in the South, in Maharashtra and in other places against the Brahmins, and the Non-Brahmin movement has had a long struggle. But we cannot deny that while in the past also some Brahmins might have been guilty of some of the most heinous crimes, even at that time there might have been many poor and down-trodden among these high castes who might have equally because of economic and other reasons suffered. Now, I am saying this in order to rationalise the whole situation. Madam, as a Muslim, you and I have also been the victims of what the medieval rulers might have done. What Aurangzeb did ? What Mohammad Tughlak did ? What Allauddin Khilji did ? Surely, if that logic is to be applied—which is not correct in this context that what our great-great grandfathers did, whether they were related to us or not—it would be impossible for anybody to establish that I had or you had any relation with Aurangzeb. But this kind of an approach, that for those sins the present generation or the generations to follow should be made to suffer, is something....

SHRI B.D. KHOBRAGADE : Nobody is asking them to suffer. The question is, we have suffered for centuries and, therefore, we should also get a chance..

DR. RAFIQ ZAKARIA : Please don't interrupt me; you will have your say.

THE VICE-CHAIRMAN [Dr. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA] : You are a senior Member of this House. Please don't interrupt the other Member. You will get your chance.

DR. RAFIQ ZAKARIA : And I wish my friend would have just waited for a little while and he would have immediately agreed with me. Madam, it is also a fact that as a result of certain people belonging to certain castes which were not the privileged castes, all of them were exploited and were made to suffer. And that is why, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes have rightly been given reservations under our Constitution. I am just trying to analyse the situation because we have to be objective in this situation, and, therefore, Madam, what we have to understand is only whether we are trying to solve the problems of that kind of social backwardness which has resulted in economic backwardness or are we side-tracking the issue on the basis of caste on the one side or religion on the other side.

My friend Mr. Kushawaha rightly said that what is expected of us is to see that those who are poor, down-trodden and underprivileged, they are brought up and he, therefore, said that if you have a programme which will bring up these poor down-trodden and under-privileged, then he has nothing further to say. But my point is, has the Mandal Commission tried to do that? Mandal Commission itself has attacked Kaka Kalelkar Commission on

the basis that its recommendations were.... and I quote from the Mandal Commission itself about Kaka Kalelkar Commission : "One important reason why government could not accept the recommendations of Kaka Kalelkar Commission was that it had not worked out objective tests and criterion for the proper classification of socially and educationally backward classes". Now, has the Mandal Commission done that? That is the point. Mandal Commission started with an approach which might have given us some clue to what the situation is and what should be done. But in the middle it gave it up and I will take you to Mandal Commission itself, because Mandal Commission has talked of a socio-economic field survey and for making that field survey, this survey covered 405 out of 406 districts in the country and it was under the panel of 15 experts under Professor M.S. Srinivas for preparing the whole survey and objective analysis and then a design and pattern for removal of this backwardness. But then what happened? Chapter XI of the Mandal Commission Report gives us an idea and a brief discussion of what the socio-educational survey did. It does not give its findings. Not only that. What is surprising is that the Commission itself, after having done this socio-educational survey, after having tabulated all the facts and findings of this expert committee, it says :

"The findings based on socio-educational field survey happen to be inconsistent with the living social reality."

This is amazing. It says further :

"For example, the social status of Kesara caste in Bihar, Dhobi in Gujarat, Agasa in Karnataka, Kumbar in Rajasthan and Badagar in Tamil Nadu etc. is known to be very low. Yet these castes scored below eleven per cent and thus qualified for ranking as forwards. Such aberrations are bound to occur in any sociological survey which is based on statistical data owing to lopsidedness of the sample covered. The only corrective to these aberrations is the intimate personal knowledge of local conditions and the use of massive public evidence produced before the Commission. The results of the field survey have been carefully scrutinised and such aberrations rectified as far as possible."

My first objection to the Mandal Commission Report is this that the objective data, the statistical analysis it itself conducted has been brushed aside. And it has been substituted by what is called intimate personal knowledge of local conditions. Now, should any report be accepted which is based on a subjective approach of certain members or of certain witnesses who might have appeared before the Commission in a matter which is so complicated and of such dimensions? That is why, the whole report is, if I may be permitted to say, a justification of Manu Smriti. Perpetuate the castes. So far, certain cases had had the privileges. Deprive them of those privileges and in regard to those who did not enjoy those privileges, allow them those privileges. On the basis of this, a whole list has been drawn.

And the most amazing part is the example given by it of Mohan and Lallu, Mohan, a boy belonging to an upper caste and Lallu, a boy belonging to a lower caste. I do not want to read the whole description which has been given. The "Sunday Review" of the "Times of India" had published the whole chapter from the Mandal Commission and it has provoked a lot of criticism and other things. If Mohan a boy belonging to an upper caste, has been with a silver spoon in his mouth, are we to conclude that everybody belonging to that community or that caste,

[Dr. Rafiq Zakaria]

is necessarily so privileged? I am prepared to concede that as far as lower castes are concerned, 99 per cent of them suffer from social disabilities. That is why, the economic basis has to be the rational basis. As far as the Mandal Commission is concerned, its whole approach to my mind, is arbitrary. It is unconstitutional.

It has made an earnest effort, no doubt, to tackle the problem of social backwardness, it has pinpointed certain lacunae and emphasized the conditions of certain segments of our society which certainly deserve our attention, but as far as the principles that have been enunciated and the approach that it has adopted are concerned, it is something which will strike at article 14 of the Constitution, Equality of opportunities. And the amazing manner in which the Mandal Commission has tried to poo-poo the whole concept of merit, God forbid, if that happens, merit has got to be buried. Simply because Mr. Sethi is an excellent Minister, does wonderful homework, is able to have a good grip over every crisis and situation, but because he belongs to a particular upper caste, whatever be his merit, he has to be brushed aside. Simply because his forefathers, his great grand fathers belonged to upper caste. I do not know to what caste Mr. Sethi belongs, I do not think he belongs to upper caste, but I am taking the example.. (*Interruptions*) He is Jaini. (*Interruptions*). Let us not go into that, but the whole question is not only that, I am coming to your point also. Therefore, what we have to understand is that you have to make a sincere and honest effort to see that merit is also attracted in the larger interest of the country and that those who are under privileged and because of certain social and educational conditions who have not been able to raise, their merit should also be harnessed; every effort should be made to achieve this. But is reservation the answer to that? Has reservation ever removed these disabilities? To my mind, it would be far better if the really merited students of the lower class and the lower caste are given all the facilities for their development and fulfilment by giving them scholarships, by putting them in best schools, by giving them all other facilities so that they are really enabled to develop, but that is not what is being done. What is being done is this. Even if your marks are 40 per cent, you will get admission in medical colleges, in engineering colleges. (*Interruptions*) That is entirely a different proposition, Mr. Yadav. There I am one with you. (*Interruptions*). I entirely agree with you that merit has been buried by corruption.

SHRI B.D. KHOBRAGADE : In Kerala one student who got 2 per cent marks was admitted in a medical college saying that he had obtained 60 per cent marks. That case was before the High Court.

DR. RAFIQ ZAKARIA : To that my answer, Madam Vice-Chairman, is that two wrongs do not make one right. Because of the corruption in colleges, because of the corruption in universities, because of the corruption in the examination system, you cannot say so. Do you mean to say that among the privileged classes the merited students do not suffer as a result of corruption? That has been allowed to generate because many of the unmerited persons get all these things due to all these corrupt practices. Therefore, I am one with Mr. Yadav in the fight against corruption. I am one with him if he wants to cleanse the whole system, but what I am saying is this, that the approach that has been brought about in this Report that only on the basis of certain intimate personal knowledge of the local conditions a list has to do be drawn and, Madam, they have also cleverly covered not

only the Hindus..(*Time bell rings*) Madam, I will take another 15 minutes because the mover has taken 40 to 45 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA] : No. he did not. He finished in 28 minutes.

SHRI NARENDRA SINGH (Uttar Pradesh): Madam, the time should be divided among the number of speakers from this party.

SHRI RAMANAND YADAV (Bihar): Time must be distributed amongst us.

DR. RAFIQ ZAKARIA : If Mr. Yadav does not interrupt me, perhaps I would have finished much earlier.

As I said, the manner in which they have tried to cover the non-Hindus is, for instance, amazing. How have the non-Hindus been covered in backward classes? By saying that those non-Hindus who got themselves converted from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be treated as such. Now among the Muslims, it is impossible to find that out because Islam is a religion of equality, Islam destroys these distinctions the moment the conversion takes place. And after centuries and decades if this is going to be the criteria—that is, to find out among the Muslim converts as to who were from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes—then it is an impossible situation. I think same is the case of Christians also, though in some places in the South it may be possible. Therefore, as far as minorities are concerned, it is an eye wash. No benefits whatsoever are going to accrue to the minorities, and specially the Muslims, from the Mandal Commission's Report. And they have siad that really speaking the reservation should be as much as 72 per cent because 52 per cent really constitute the other backward classes, apart from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. But because the Supreme Court in various judgements has said that the reservations to any group or class of people cannot be above 50 per cent, therefore they have tried to bring it down.

SHRI SYED SHAHABUDDIN (Bihar) : That has been superseded by a later judgement of the Supreme Court.

DR. RAFIQ ZAKARIA : I am talking about the Mandal Commission's Report and its recommendations. I do not have the time, but if Mr. Shahabuddin will read the recommendations of the Mandal Commission, they have said that because the Supreme Court is coming in the way, they are only making recommendations as far as other backward classes are concerned to the extent of 27 per cent in this 27 per cent..

SHRI V. GOPALSAMY : May I know if this is the view of the Congress (I) Government?

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA] : Let him finish.

DR. RAFIQ ZAKARIA : You please read the Mandal Commission's Report. I am not here..(*Interruptions*) You will know it when the Home Minister speaks. He will speak on behalf of the Government. Madam, this is not a party question.

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA] : Would you like to conclude please?

DR. RAFIQ ZAKARIA : Mandal Commission's Report is there. Government is there to reply. Whatever Government's reply is, you will know. That will represent the Government's point of view. And within the ruling party, there may may be differences about it. There are bound to be. Why should there not be? Therefore, Madam, I would strongly urge upon the

[Dr. Rafiq Zakaria]

Members not to be carried away simply by sentimental slonganism which has been created by the Mandal Commission. In fact, in the note of dissent, Mr. Nayak, who is the Scheduled Caste Member of the Mandal Commission, has strongly disagreed as far as this approach is concerned. He has said: Well, I can understand as far as the really depressed backward classes are concerned if you want to do something about them. But if everybody is to be taken under the cover of caste and given these privileges, then he says that the intermediate backward classes or the forward backward classes will really get all the benefits, will get all the fruits of these privileges and the poor and the downtrodden among the other backward classes will suffer in the same way as the Schedule Castes and Scheduled Tribes, despite all the reservations that we have given them in the last three to four decades, still continue to suffer.

Thank you, Madam, Vice-Chairman.

SHRI K. MOHANAN (KERALA) : Madam Vice-Chairman, at the outset I would like to say that this exercise of discussion is something like swallowing an iron bar and then taking a glass of cold water as an antidote. This exercise of discussions about the recommendations of Commission and reports will continue, even after Commission after Commission, and if this is our approach to this problem, this problem will not going to be solved.

Madam, it is a peculiarity of our country that the caste system in its crude system prevails in this country. It is said that this caste system is the creation of God. It is surprising why this God does not go to other communities likes Germany, Italy, France, America or the Soviet Union. This God came here to India to create a caste system in this country only. Madam, this caste system is not the creation of God. It is the creation of religious heads and priests. There was no caste system in the primitive society. In our Marxist terminology it is called primitive communism. We call it tribal society or something like that. Originally there was no caste system. But in the *Gita*, Bhagavan Gopalakrishna says, "*Chaaturvarnyam maya sristam . . .*" Actually, in the name of God it was the vested interests who created the caste system in this country and it prevails through ages and ages, through years and years. That is what is happening. Not only that. In many cases they have used the caste system for their own interests. I would say that that was the main reason for the failure of our national movement.

Madam, even in the days of the freedom struggle we used to hear about Harijan uplift. What is this Harijan uplift ? You are giving a piece of soap, or a small hut or a piece of cloth. Once in a year some of you are going to the slum areas, for cleaning, take a photo and publicise it much. What is your Harijan uplift ? Why are you discriminating between Harijans and other sections of the society ? You always want to seclude this section from other sections of the society in the name of uplifting them and giving them special preference. You are building colonies for the Harijans. Why ? Because you do not want to settle the Harijans within your own areas. But you are saying, "We are giving special preference to them, we are giving special consideration to them." No, Madam. You, the ruling class, want to perpetuate the present system of caste in this country. Without changing this approach you can't do anything, you can't solve the fundamental problem.

Madam, take these socially and educationally backward classes. What is happening is, all the means of production are controlled by a particular section in the society and that is

why the majority of the people—the down-trodden are kicked back and they remain, backward even now.

The means of production are in the hands of a handful of people in this society. Those who are interested to protect the interests of the higher castes are in possession of the means of production. Any political party came into power with the help of this section, they cannot do anything against the caste system of this country. I am not against reservation. For the time being, it is a must, because we want to give some kind of help to these down-trodden people, the backward sections of our community. It is our moral duty because for ages and ages and for years and years the upper class dominated the society and kicked these poor sections of the society. It is the duty of a cultured society to give some kind of help to these poor people. To that extent, I am in favour of reservation. Above that, if you are of the opinion that reservation is the solution for the ills, and it is the only solution to uplift the down-trodden, I cannot agree with you because that is not the real solution. Here I do agree with the recommendations of the Commission in Pt. I, page 60, para 33 :

> "The net outcome of the above situation is that notwithstanding their numerical preponderance, backward classes continue to remain in mental and material bondage of the higher castes and rich peasantry. Consequently, despite constituting nearly 3/4th of the country's population, Scheduled Catses, Scheduled Tribes and Other Backward Classes have been able to acquire a very limited political clout, even though adult franchise was introduced more than three decades back.

What is the use of this adult franchise? Adult franchise and the backwardness of the people have nothing to do with each other. We know how to exploit these people in the elections, and all that. Giving adult franchise to these people will not do them any good. It will not serve any purpose in removing the backwardness of the people. Then, again, here it is stated:

> "Through their literal monopoly of means of production the higher castes are able to manipulate and coerce the backward classes into acting against their own interests. In view of this, until the stranglehold of the existing production relations is broken through radical land reforms, the abject dependence of under privileged classes on the dominant higher classes will continue indefinitely."

This is the crux of the problem. You are saying that you have passed land legislation. Yes, but legislation only for legislation, it is on paper. You are not bold enough to implement that legislation. Again in this paragraph it is stated:

> "In fact there is already a sizeable volume of legislation on the statute books to abolish *zamindari*, place ceilings on land holdings and distribute land to the landless. But in actual practice its implementation has been halting, half-hearted and superficial."

The Commission is hundred per cent correct. I fully agree with the conclusions of the Commission on this issue. States like Karnataka, Kerala and West Bengal which have gone ahead with the job more earnestly have not only succeeded in materially helping the backward classes but are also reaping rich political dividends in the bargain.

Sir, how has it happened? It is 3 P.M. not by miracle. In Kerala and West Bengal and other like State where there is a strong progressive movement, where a strong left movement prevails, such land legislations, progressive legislations could be implemented. But in so many other

[Dr. Rafiq Zakaria]

States this is only a lip-service. It is not implemented. The legislation is on the statute book but you are not there to implement it because you want to protect that particular interest those people who are helping you to come to power. That is what is happening here. So the crux of the problem is that by reservation, by extending the reservation or giving some more reservation to some community by excluding somebody and including somebody else will not help to solve the problem. The crux of the problem is how to remould the society by cracking down on the present social system by basic legislations like the land legislation and all that.

Lastly, Madam, I am not against the reservation. We can discuss it in detail. I want to stress that to assuage the poor people, the downtrodden people, just for the time being we can use this as a very little measure to help them to a very limited extent. But the main problem and the crux of the problem is the present social system and without touching the heart of that system you cannot do anything. For that some basic changes are needed not mere legislation. Some consistent movement should be there from the part of the people. This is a question of clash between two particular classes. Their interests are clashing with each other. Only on the initiative of the poor people and their mass movements this problem could be solved. So, Madam, in my opinion as a temporary measure the present system of reservation should be continued but at the same time the Government should come forward to implement what it is saying.

Thank you.

उपसभाध्यक्ष [डा० (श्रीमति) नाजमा हेपतुल्ला] : डा० रुद्र प्रताप सिंह। आपके 15 मिनट हैं, आप अपनी बात को इस प्रकार कहें कि इस समय के अन्दर समाप्त कर सकें।

डा० रुद्र प्रताप सिंह (उत्तर प्रदेश) : महोदया, मैं आपने जो समय निर्धारित किया उससे भी कम समय में अपनी बात रखने का प्रयत्न करूंगा।

उपसभाध्यक्ष [डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला] : बड़ी खुशी की बात है।

डा० रुद्र प्रताप सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदया, आपका मैं हृदय से आभारी हूं जो आपने मुझे द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रतिवेदन पर नियम 176 के अधीन चल रही चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया।

महोदया, उपर्युक्त मण्डल आयोग ने पिछड़े वर्गों में कुल 3507 जातियों को सम्मिलित किया था जिनमें से जो भी जातियां सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हैं चाहे वह हिन्दू जातियां हों, चाहे गैर-हिन्दू जातियां, उन सभी को सम्मिलित किया गया है। उन्होंने पिछड़ा वर्ग को नौकरियों में 27 परसेंट आरक्षण की संस्तुति की है और साथ ही यह भी बताया है कि जनसंख्या के आधार पर उनका अनुपात 52 पर्सेंट है जिसमें से हिन्दू पिछड़ा वर्ग 43.70 परसेंट और गैर-हिन्दू पिछड़ा वर्ग 8.40 परसेंट है। महोदया, प्रतिवेदन के पक्ष में बोलने वाले सम्मानित सदस्यों ने पिछड़ा वर्ग की जो दशा भूतकाल में थी जो दशा वर्तमान काल में है और भविष्य में जो दशा दिखाई पड़ती है उस पर प्रकाश डाला है। मैं उनके विचारों से पूर्णतः सहमत हूं। उन्होंने यह भी कहा है कि संविधान में इस बात का प्रावधान है कि जो जातियां सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिये और उनकी हर प्रकार से सहायता की जानी चाहिये और इसी आधार पर जो जनसंख्या में उनका अनुपात है उसको दृष्टि में रखते हुए 27 परसेंट आरक्षण की मांग की है। महोदया, प्रतिवेदन के विपक्ष

में जो विचार प्रकट किये गये हैं उसमें शंका व्यक्त की गई है कि इससे एक वर्ग संघर्ष हो जाने का भय है। साथ ही यह भी कहा गया है कि सामाजिक तथा शैक्षिक आधार के अतिरिक्त आर्थिक आधार एक महत्वपूर्ण आधार है। आर्थिक आधार की उपेक्षा करके केवल सामाजिक और शैक्षिक आधार को आधारशिला मान कर कार्य करना उचित नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जो देश में आर्थिक कार्यक्रम चलाये जा रहे है उससे पिछड़ा वर्ग को लाभ मिल रहा है और इस बात की आशा व्यक्त की गई है कि भविष्य में उससे और अधिक लाभ उन्हें मिल सकेगा। महोदया, यह एक अत्यन्त गम्भीर प्रश्न है जिस पर हम लोगों को इस सम्मानित सदन में बहुत गम्भीरता से विचार करना होगा। जहां तक मैंने इस प्रश्न पर विचार किया है मैं समझता हूं कि हम लोग एक वर्गरहित समाज की रचना करना चाहते है जिसमें राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समानता का अधिकार प्राप्त हो। यह तभी सम्भव हो सकता है जब हम ऐसे समाज की रचना करें जिसमें जाति, लिंग, भाषा तथा धर्म के नाम के आधार पर कार्य न किये जायें। यह तभी सम्भव हो सकता है जब कि इसका आधार आर्थिक हो। यह तभी सम्भव हो सकता है जब कि इस समाज के अन्दर, भारतवर्ष में हम केवल दो ही वर्गों की बात सोच सकें--एक धनी वर्ग और दूसरा निर्धन वर्ग। जब तक हम जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर सोचते रहेंगे तब तक मुझे आशंका है कि हम उस वर्गरहित समाज की स्थापना नहीं कर सकेंगे।

जहां तक नौकरियों में आरक्षण देने का प्रश्न है वह प्रश्न इससे भी अधिक जटिल है क्योंकि वास्तविकता यह है कि उसमें तो हमें इससे भी ऊपर उठकर निर्णय लेना होगा। हम लोग एक तरफ तो यह सोचते हैं कि जातियों की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए और दूसरी ओर यह भी तर्क दिया जाता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि वह समय निकट है जबकि प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में इस देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो सकेगा। और जब शिक्षित समाज हो जाएगा तो वे इस बात की मांग करेंगे कि हमें योग्यता के आधार पर नौकरी चाहिए। मैं समझता हूं कि वह समय निकट आने वाला है और वह दिन भारत के लिए सौभाग्य का दिन होगा जिस दिन लोगों को नौकरियां योग्यता के आधार पर दी जाएंगी और तब ही समाजवाद की परिकल्पना सही होगी। जब योग्यता और क्षमता के अनुरुप कार्य करने का अवसर लोगों को मिलेगा और जब एक प्रकार के कार्य के लिए एक प्रकार का वेतन दिया जाएगा तभी समाजवाद की परिकल्पना पूरी होगी और तब हम समाजवाद की बात सोच सकते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कार्य तत्काल किया जाना चाहिए। इसमें बहुत विलम्ब हो चुका है। इसके अधिक विलम्ब राष्ट्र के लिए घातक हो सकता है। यह प्रसन्नता की बात है कि प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा हमारे दल की पिछड़े वर्गों के साथ पूर्ण साहनुभूति है। प्रधान मंत्री जी के 1975 के 20 सूत्री कार्यक्रम तथा अब संशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम से पिछड़े वर्गों का कल्याण हुआ है, हो रहा है और मैं समझता हूं कि आगे भी बहुत अधिक कल्याण होने वाला है। मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री जी इस बात को जानती है कि उन्होने अनुसूचित जातियों और जन जातियों को नौकरियों में जो आरक्षण दिया है, व्यावहारिक रूप में आज भी जितनी प्रतिशत सीटें उनके लिए सुरक्षित की गई हैं असल में व्यवहार में उतनी प्रतिशत नौकरियां उनको नहीं मिल पाई हैं। संभवत: इसको वे

[डा रुद्र प्रताप सिंह]

जानती हैं कि नियम बना देने से किसी जाति को हम जो लाभ पहुंचाना चाहते हैं वह लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं । इसीलिए संभवतः इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। आर्थिक कार्यक्रम के द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम के द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाये जायें जिसमें कि पिछड़े वर्ग के 5 प्रतिशत लोगों की जगह पर पिछड़े वर्गों के शत प्रति शत लोगों को उसका लाभ मिल सके। यह एक अच्छी बात है । परन्तु इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां तक पिछड़े वर्गों की बात है यह वास्तविकता है कि चाहे सत युग हो, त्रेतायुग हो या कलियुग हो, युग-युगों से उनके साथ शोषण होता आया है शोषण हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि शोषण होता रहेगा जब तक इस दिशा में कठोर कदम आगे नहीं उठाये जाते हैं ।

इस ओर तत्काल ध्यान दिये जाने की की आवश्यकता है। महोदया, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों के सामने केवल दो ही विकल्प हैं । एक विकल्प यह है कि या तो हम वर्ग रहित समाज की संरचना करने की दिशा में तत्काल क्रान्तिकारी कदम उठायें । योग्यता के आधार पर यदि तत्काल हम कदम नहीं उठा सकते हैं तो आर्थिक आधार पर ही हम शीघ्र कदम उठायें ।

श्री रामानन्द यादव : क्या आप चाहते हैं कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो ?

डा० रुद्र प्रताप सिंह : हां , . .

SHRI RAMANAND YADAV: What do you want to say ? Say it very clearly.

डा० रुद्र प्रताप सिंह : आर्थिक आधार पर तब तक कदम उठाये जायें मजबूत कदम उठाये जायें और जैसा कि हमारे सम्मानित साथी यादव जी ने कहा, मैं स्थिति को और स्पष्ट कर दूं । मुझे बहुत प्रसन्नता है उस स्थिति को स्पष्ट करते हुए और मैं यह चाहता हूं कि एक लाइन खींची जानी चाहिए इस बात की देश के अंदर कि केवल धरती का बंटवारा हो इसके साथ साथ धंधों का भी बंटवारा हो, धन का भी बंटवार हो, जिससे समाजवाद की कल्पना साकार हो सके और इसके आर्थिक आधार को दृष्टि में रखते हुए हम तेजी से कार्य करें। यदि उस कार्य को करने में अभी कोई किसी विशेष कारण से उसमें विलम्ब होने की संभावना हो तो मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि यदि इस कार्य में विलम्ब होने वाला है तो मैं भी इस आयोग के 27 प्रतिशत की मांग का समर्थन करता हूं ।

अन्त में महोदया, मैं एक रूबाई पढ़कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा :

मिटा गीत मैं हूं, बना गीत मैं हूं
सिवा गीत के और चारा नहीं हूं ।
उन्हें प्यार करते है जिनको जगत ने
दुलारा नहीं है, पुकारा नहीं है ।

उपसभाध्यक्ष [डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला] : मि० शाहाबुद्दीन साहब, आपकी पार्टी के टाइम के अनुसार आपको 15 मिनट मिलेंगे । मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी केवल 3 मिनट पहले घंटी बजाऊंगी ।

SHRI SYED SHAHABUDDIN: Madam. Vice-Chairman after a long winter of discontent when our country broke into the spring of freedom in March 1977 the Janata Party came to power. The Janata

Party had promised in its manifesto and I shall quote:

> The Janata Party believes that the disparities that separate these members of our society from more educationally and economically advanced sections cannot be radically reduced without a policy of special treatment in their favour. It will accordingly provide preferential opportunities for education and self-employment for these sections. In this connection it will reserve between 25 and 33 per cent of all appointments in Government service for the backward classes as recommended by the Kalelkar Commission.

Madam, we had made a commitment to the people. But we found that the Kalelkar Commission which had been consigned to oblivion was somewhat out of date. The social reality of India had been transformed itself in the 20 years that have passed. Therefore, acting under article 340 of our Constitution, the Janata Party appointed a Commission which came to be known as the Mandal Commission. It is the report of this Commission that we are discussing this afternoon.

The first poit nI would like to submit Madam is this. Do the Government have any justification for sleeping over this report for nearly 2 years ? It took us almost a political agitation, nationwide in its scope, within this House, within the other House and within the nation at large, to force the Government to place the report before the people. It has taken us another three months to discuss it. I do not know whether in the next two years that remain to the present Government, they shall move an inch towards its implementation. I have my doubts . I am also surprised to know from the proceedings of the other House where the hon. Home Minister took the plea that they had acted under article 343(3) by merely informing the House that the Report had been transmitted to State Governments. They thought that that was adequate in terms of the constitutaional obligation of providing a Memorandum on Action Taken. What the Constitution demands is a Memoramdum on Action Taken. That, again, does not simply consist in transmitting the Report to some other Governments, and that, too, without a deadline. Therefore, it seems to me that so far the attitude of the Government to this Report has been callous and apathetic, to the point of being neglegent. And I must say that much evidence of that in this House has been provided by hon. Dr. Rafiq Zakaria who was the first speaker on behalf of the ruling party.

Madam, the Kalelkar Commission report was not even discussed in Parliament. So, to that extent we must be thankful to the present Government that they have given us an opportunity to discuss the Mandal Commission Report. The Kalelkar Commission also was finally shelved in 1961. As I said, it was consigned to oblivion. It became an exercise in that famous Persian saying : 'Nishistana, Guftan, Barkhastand.'

Madam, history moves on. The wheel of history moves on. Human spirit demands liberation, freedom and justice. Therefore, the movement of the deprived section of our people for a fair share of the goods of our society went on. Several States appointed Commissions and developed their own systems of reservations. I shall not go into the details. What happened was that over a period of 20 years we had a variety of schemes in various States. There were variations on the same

[Shri Syed Shahabuddin]

theme and we failed to evolve a national approach. This lacuna is sought to be filled by the Mandal Commission. The purpose of the Mandal Commission is that a national consensus should emerge on this question which has become ripe for solution, which has reached a stage in which it cannot be ignored. My friends, on the other side, have spoken of the caste war. I give them a warning : If you do not implement the Mandal Commission Report, there will indeed be a caste war in this country. You must take note of the signs of impending storm on the horizon. And we must try to deal with this question not in terms of party politics but in terms of the nation as a whole, and in terms of the essential principles of our national life, which says that the entire world is our family.

Madam, when I look at the recommendations of the Mandal Commission which are contained in Chapter XII—and Chapter XIV gives a brief summary on page 63, it seems to me that nobody can disagree with most of the recommendations of the Commission about special facilities, preferential treatment in education, etc. The point of contention is the reservations. Now, reservations has been criticised as a principle on many counts. Some people criticize it on grounds of merit. I have no sympathy with that argument at all. I briefly touched upon the same some time ago. It is simply beyond human possibilities to define 'merit' objectively, to measure it precisely and to apply it justly. And, therefore, the sooner we set aside and demolish this, Shibboleth of 'merit', it is for the country.

The second thing which has been argued is that the system of reservations shall lead to deterioration in the standards of administration. Well, we all know what the standards of administration are. Can they really go down lower than they are now? Also, I would like to place the examples of various States where reservation is in full swing. I have just been to Kerala where alomost every community derives the benefit from the policy of reservation. Can we really bring ourselves to say that the administration of Kerala or the administration of Karnataka or the administration of Tamil Nadu is in any way inferior to the administration of the Central Government ? I am not mentioning those States which are well known for their maladministration, because they simply don't stand comparison.

SHRI V. GOPALSAMY : They had reservation since 1950.

SHRI SYED SHAHABUDDIN: Therefore, I have no sympathy with this argument eiher. But there are certain aspects of reservation policy as practised in our country. We can always learn from our mistakes. And, therefore, there are certain aspects which need to be brought out and there are some aspects which I would like to place before the House and before the Government so that if they really want to extend the principle of reservation, they should take into account some of these points. It is said that the result after 30 years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes have not been really upto expectation and we cannot really find people to fill up the available positions. Well, if the results are so meagre, then in fact there should be no resistance to extending the principle of reservation. There should be no cause for worry, nobody's share is likely to be taken away from him. There are reasons why the results have been meagre. The results have been meagre primarily because adequate attention has not been paid to educational advancement of our deprived sections.

It has been said, for example, that reservation will lead to perpetuation of caste, create a vested interest among the beneficiaries. Nobody likes to be labelled backward perpetuality. The fact is that our society has not moved much beyond the stage in which it was in 1950. And, therefore, the principle of reservation has to kept up for some time. Indeed, Prof. Madhu Dandavate said in his speech in the other House that so long as untouchability is there, we shall have to keep reservation. Thirdly, Madam, it has been said and indeed that is a fact that the benefits of reservation are often absorbed by a very thin layer of the society at the top. A thin section contipues to be benefited. But there is some menning in this. In fact, I would plead very strongly that no family which has benefited once from reservation should benefit a second time from reservation. It may be argued that when the father has gone into service by virtue of reservation, on the basis of reservation, then the son should not be permitted to take advantage of reservation. That benefit should pass on to another deprived family. Finally, it has been said that if you apply reservation in promotion—as it is being sought well, it does create a certain amount of topsyturvydom. It means that some times a junior becomes the senior of the person he worked under.

I personally believe in the principle of equity. Once we have brought people on one line and given them a signal to run, there should not be a second advantage. The first advantage should be there. They should be brought on the line at the commencement, at the beginning. And after that they should be allowed to run their course. There should not be a second advantage to the same person as it should not be to the same family. (*Interruption*). All that I am arguing is that there is no justification for a second reservation either in favour of the same individual or in favour of the same family. It has been said and I think again there is some justice in it....

SHRI V. GOPALSAMY: You refer to promotion also.

SHRI SYED SHAHABUDDIN: I am coming to that. It is also said that the officers who come in under the reservation quota are often very timid; they always carry a chip on their shoulder; they can never stand up, they can never face and they can never take a strong decision. Even when their own community is being suppresssed or its interests are affected, they never take a strong decision I can testify to this. I can say that it does exist in our society. But the answer is not in cutting away the reservation but to create a better moral fibre in our people and our officers. And it has been said finally—and I would stress this point—that there are also poor sections in other classes of our society, they have the same disadvantage, they suffer from the same deprivation. As Shri Jagjivan Ram has said, "My daugher can take advantage of the system of reservations but my cook's son who is a Brahmin, cannot." I think that is a built-in unfairness. Therefore you have got to ensure somehow that all the deprived and underprivileged sections of our society are brought within the purview of this scheme of protection. Finally, no group is homogenous. That is another aspect to be kept in mind. When you talk of say the Harijans, well the Soical structure is such that Harijans really consist of so many castes and sub-castes. You talk of the Brahmins. Brahmins are not just one homogenous or monolithic whole. There are Brahmins and Brahmins. And, therefore, some time a question will arise how the different sub-sections within the same section of society are going to benefit.

This point you must keep in mind. I have certain idea about it and I shall come to that a little later.

[Shri Syed Shahabuddin]

Madam, the point is, here in our society, the social reality is such that we are not very far out from the system of ethnic injustice that sometimes operates in other parts of the world. You have the caste system today despite the social mobility,despite horizontal and vertical mobility, that has been generated in our country and it continues to exert its pressures. In fact, in the words of Rabindra Nath Tagore, it continues to be a gigantic system of cold-blooded repression. Brahmanic society continues to be dominant. The minorities, the scheduled Caste, the Scheduled Tribes, the backward classes have very little share in the goods and services of the society. It has been calculated that 10 per cent of the people control or exploit 90 per cent of the goods and services of our society, and you know what politics is. Politics has been defined as a system for distributing the goods and services of the society, who gets what, how, when, how much? That is what politics is all about. We have sections of our society who do suffer under social disabilities. Untouchability continues to create social stigma. There are sections of our people who are educationally backward and, in turn, economically backward and they exert no administrative influence have no hand, no finger on the levers of power, no real share of political power, they may have of course the right to vote. And in fact, we also see the glimmer of hope that the caste system is slowly getting eroded under the force of modernisation and urbanisation. But the process is so slow that unss you really introduce a catatalyst inleociety, we will never be able to save ourselves before the storm breaks

SHRI V GOPALSAMY : In certain quarters, it is getting strengthened

SHRI SYED SHAHABUDDIN : May be now Madam, it has been argued way should people hanker after Government jobs ? People do hanker after Government jobs because in our society which has still not shed off all its feudal values, Government service means social status. It means something, someone to look up to, someone to go to when you are in distress or in trouble because that is how our system operates. We are still only in the first level of political consciousness. In the first level of political consciousness, you only think of or your awarness is only limited to yourself, and extended to embrace your tribe, your clan or your caste.

[The Vice-Chairman (Shri Ladli Mohan Nigam) in the chair

And that is why, as it has been argued by the Supreme Court, caste is there today in our society as a class, a class not in the Marxist sense but in a social sense, and many a time the system of economic exploitation coincides with the system of social exploitation.

Where have we gone wrong ? We have gone wrong because whatever we might have pledged to our people, we have remained economically backward and politically we have confused shadow with substance. We have the framework of democracy to which we do the Arti from time to time but the spirit is slowly being eroded except the feeling of the people that they have the right to vote. About education, we have not been able to fulfil our pledge to the people for providing uniform compulsory primary education. If that had been done, perhaps, today reservation would not have been necessary. But education never received the high priority that it should have received under our system of planning. We have not, invested as we should have done, in developing our human potential. Our entire planning process has been distorted by the infusion of elitist tendency and our acceptance of elitist goals and ideals. And about power, we have been talking about power to the people and yet there has been an evident transformation of the power system into a more and more centralised system. We have denied power to

the people and I am not only talking of power to weaker sections of the people. And topping it all we have developed a system of institutionalised corruption. (*Time Bell Rings*). We have developed a system in which money means everything. Those who have money, can get anything done. They can get away even with murder. Money power determines and influences the election, the administration, determines what the executive will do for you. What the judiciary will do for you , what the system will for you. Therefore, if you remain poor and if you cannot grease the palms that hold the levers of power, then, you simply exert no influence.

That is why, it becomes necessary that every section of the society should be represented in the power structure. Therefore, Sir, I would plead that while the system of reservation as we have practised in our country might have given rise to some contradictions, suffer from some limitations, some inconsistencies some weaknesses, some degree of imprecision—still, reservation is a necessity for our society. But you have to define backwardness in a more scientific manner, as has been sought to be done by the Mandal Commission. Perhaps, if I may venture, I would consider backwardness synonymous with anything which is below national average. If a particular group of people have less doctors which is below the national average, if they have less officers than the nation as a whole, if they have less engineers, less graduates, less food , more disease and less land, they are backward. Backwardness should be defined as anything which is below national average. It is in this sense that I would plead that reservation should be defined on grounds which would include not only social and educational backwardness but also economic backwardness. But I would not like the entire reservation quota to form one single pool. This pool needs to be compartmentalised among the various recognisable sections of the people like the Scheduled Castes, the Secheduled Tribes, the backward classes and the minorities.

Now, reservation, in my view, should also be extended to the private sector. Why should it be limited only to public employment or Government service? Those firms, those private firms, which do not adopt fair employment practices, cannot be licensed away. But they can be forced out of the system of consessions, privileges, permits or quotas because those are concessions, and not legal rights. They can be taken away if a particular firm does not adopt fair practice in employment. (*Time-bell rings*)

Sir, I would take one minute more.

(*Interrruptions*)

Any system of reservation which might be adopted should be looked at and reviewed every ten years. Maximum facilities, as has been suggested by the Mandal Commission, should be provided to the backward classes. Educational and training facilities and incentives should be provided to them so that the drop-out rate among the lower classes is reduced to as low a level as possible. There should be programmes of economic regeneration. You may call it a 20 point or 25 point or hundred point programme. It does not matter to me. But programmes which are directly linked with the life of the people, their housing, their medicine, their basic needs, programmes like distribution of land among the landless people should be given the highest priority. Programmes like adult education, like the food-for-work programme, which generate employment should be given the highest priority, so that the man, the family, can really go in for education.

We are participating in this debate not as a ritual. We should not content ourselves by simply paying lip-service to this great nation or to the

[Shri Syed Shahabuddin]

human ideals that we have. The Mandal Commission Report should not be treated as a gimmick. It is a cry of anguish. It is a cry from the corridors of history. We should listen to it. We have got to listen to it. We cannot ignore it. If we ignore it, we do it at our peril. We have a moral obligation to uplift the deprived and the wretched of the land.

I have a number of points as to how the system of reservation should be carried out.

In the end, I would say, I am in favour of implementation of the recommendations of the Mandal Commission. I would like these recommendations to be implemented. We should not try to bury it as Dr. Zakaria has done. We should make it the foundation stone for a new socio-economic polity and a new India of our dreams. Thank you.

श्री जी० स्वामी नायक (आंध्र प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं आप का बड़ा आभारी हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रतिवेदन पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया । जैसा कि पहले मेरी पार्टी की ओर से और अपोजीशन की ओर से कुछ भाइयों ने कहा कि इस प्रतिवेदन में 3743 जातियों को जोड़ा गया है और सारे राष्ट्र के हर प्रान्त में, हर जिले में जाकर इस कमीशन के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये जांच की ।

मान्यवर, पहले 1953 में काकासाहेब कालेलकर कमीशन नियुक्त किया गया । और उसकी रिपोर्ट 1955 में सरकार को दी गई लेकिन काकासाहेब कालेलकर कमीशन रिपोर्ट को सरकार ने किसी वजह से कार्यान्वित नहीं किया और इसमें दुश्वारियों को देखते हुए इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए राज्यों को हिदायत दी गई कि वह अपने राज्यों में अपनी परिस्थितियों के अनुसार स्टेटवाइज कमीशन बनायें और उनको कार्यान्वित करें । चुंनाचे उसी के मुताबिक करीब 10 राज्यों ने अपने यहां स्टेटवाइज कमीशन बैठाये और बैकवर्ड क्लासेज की लिस्ट तैयार करके उन राज्यों में इंप्लीमेंट की । इनमें उड़ीसा ने भी इस रिपोर्ट को माना । किन्तु कुछ दिनों के बाद इस रिपोर्ट को रद्द कर दिया ।

मान्यवर, राज्यों में जो कमीशन बैठाये गये उसकी रिपोर्ट कुछ राज्यों ने मानी । वैस्ट बंगाल ने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया । वैसे ही मध्य प्रदेश ने इसको नहीं माना तो जो केन्द्र शासित प्रदेश रह गये थे वहां पर केन्द्र सरकार द्वारा कोई निर्णय न लेने से केन्द्र शासित प्रदेशों में भी उ। गरीब आदमियों की हालत जैसी की तैसी रही । इसके बाद इन दुश्वारियों को देखते हुए यूनियन टैरिटरी और सभी राज्यों में बैकवर्ड क्लासिस की लिस्ट न होने से 1979 में मंडल कमीशन बनाया गया । उसने देश के कोने कोने में जाकर राज्य सरकारों से मशविरा किया और जो संस्थायें पब्लिक में काम करती हैं उनसे भी मशविरा किया । एम पी लोगों से भी मशविरा किया और इतना ही नहीं जो स्वतंत्र रूप से संस्थायें कार्य करती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जो ऐंथ्रोपोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया है, उसमें न तो शैड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, न शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग है, जो स्वतंत्र संस्थायें हैं उनकी भी राय उन्होंने उसमें ली । उसी तरह से टाटा इन्स्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज की भी राय मांगी और उनका मशविरा भी इसमें सम्मिलित हुआ । इस प्रतिवेदन को 31 दिसम्बर, 1980 को राष्ट्रपति को भेजा गया और

सरकार द्वारा इसकी पूरी जांच पडताल कर लेने के बाद इसे सभा के पटल पर 30 अप्रैल को रखा गया ।

सारे प्रदेशों को इसके कमेंट के लिये अभिनियम के लिये भेज दिया गया है । इस विषय पर सदन में भी और कंसलटेटिव कमेटी में भी बार-बार हमारे मैम्बर द्वारा पूछे जाने पर सरकार का इस ओर ध्यान दिलाने पर यह कहा गया है, बड़ी खुशी की बात है कि गृह मंत्री जी ने 30 सितम्बर को कंसलटेटिव कमेटी में यह वायदा किया कि सारे प्रदेश के चीफ मिनिस्टरों को यहां दिल्ली में बुलाकर उनका सम्मेलन कराकर उनसे उनकी राय ली जायेगी और मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर आगे जल्दी से जल्दी सरकार फैसला करेगी । मैं इसके लिये गृह मंत्री जी को बधाई देता हूं । मान्यवर, इस प्रतिवेदन में एक बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश की गई है कि जो लोग एक्स क्रिमिनल ट्राइब्स हैं यानी जो ब्रिटिश सरकार के टाइम पर जो उनकी बात को नहीं मानते थे उनको एक्स क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित किया था । ऐसी नोमैडिक ट्राइब्स (घुमन्तू) की जो कभी यहां और कभी वहां घूमती हैं ऐसी जातियों के बारे में मंडल कमीशन के द्वारा सरकार से सिफारिश की गई है कि उनको आदिवासी सूची में मिलाया जाये । इसी प्रकार से मंडल कमीशन में इस बात की भी सिफारिश है कि जो जातियां शेड्यूल्ड कास्ट्स की लिस्ट से छूटी हुई हैं जो जातियां शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट से छूटी हुई है । वह शेड्यूल्ड कास्ट्स की लिस्ट में हैं और दूसरे प्रदेश में वह शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में हैं और कुछ प्रांतों में वह बैकवर्ड क्लास की लिस्ट में हैं, उनके लिये एक कम्प्रीहैंसिव एस० सी० एस० टी० बिल आप लाने वाले हैं लेकिन किसी कारण से वह हाउस में नहीं आ सक रहा है । मैं समझता हूं इस वक्त कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें बैकवर्ड की लिस्ट में 27 परसेंट की जो आरक्षण की सिफारिश की गयी है सर्विसेज में, एजूकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज में उसका मैं स्वागत करता हूं । अभी हमारे सीनियर सदस्य श्री जकरिया कह रहे थे कि हमारे एक कमीशन ने मेंबर के द्वारा डिसेंट नोट दिया गया है । मान्यवर, मैं इस विषय में कहना चाहूंगा कि जो डिसेंट नोट दिया गया है, यहां पर जितनी भी जातियां को लिस्ट बनी है उसमें से जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा इसमें काफी लोग आ गये हैं, अच्छी नौकरियों में आ गये हैं, काफी धनवान हो गये हैं, इसमें सिफारिश की गई है कि उनमें से किसी जाति को न निकाल कर जिस तरह से डिसेंट नोट दिया गया है जो ज्यादा गरीब लोग हैं और जो कम गरीब लोग हैं उनकी कैटेगरी बना दी जाये—ए बी सी आदि ताकि जो ज्यादा गरीब लोग हैं जिनको हम ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं, उनके लिये कुछ मदद कर सकते हैं उनको 'ए' कैटेगरी में रखा जाये और दूसरों को दूसरी 'बी' कैटेगरी में रखा जाये और ज्यादा धनी हैं उनको 'सी' कैटेगरी में रखा जाये । इसमें एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो मुस्लिम कन्वर्ट्स हैं, जो क्रिश्चियन कन्वर्ट्स हैं उनको भी इसमें मौका मिलेगा बैकवर्ड क्लास की लिस्ट में आने से । जो हमारे लोग कन्वर्ट्स होकर परेशान हैं हिन्दू धर्म में आ गये हैं उससे उनको फायदा होगा । इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 50 परसेंट से ज्यादा रिजर्वेशन न करने का । पहले ही साढ़े सात परसेंट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये है और 15 परसेंट शेड्यूल्ड कास्ट्स का है । इस तरह से साढ़े बाइस परसेंट होता है और 27 परसेंट फिर भी बचता है । मैं 27 परसेंट बैकवर्ड क्लास को देने के लिये अनुमोदन करता हूं । बैकवर्ड

[श्री जी० स्वामी नायक]

क्लासेज टोटल पापुलेशन का 52 प्रतिशत होते हैं। आखिर में यही कहना चाहता हूं कि माननीया प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा जो 20 नुकाती प्रोग्राम और आई० आर० डी० पी० का प्रोग्राम छोटे किसानों और गरीब तबके के लोगों की मदद के लिये बनाया गया है उससे पिछड़े वर्गों को बहुत फायदा होगा। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट दी गई है उसको मान लिया जाये और इसका मैं स्वागत करता हूं।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार): श्रीमन्, उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस मंडल आयोग के गुण-दोषों पर कुछ बातें करूं, उसके पहले मैं अपने मंत्री श्री सेठी जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस आयोग के अध्यक्ष श्री मंडल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस दृष्टि से सेठी जी को इस आयोग को कार्यान्यवन की एक हिस्टोरिकल अपोरचुनिटी मिली है कि वे मंडल जी की आत्मा के लिये एक महान कार्य करें। मैं समझता हूं कि यही उनके प्रति असली श्र ंजलि होगी। यह उनके लिये और उनकी आत्मा की शांति के लिये एक महान कार्य होगा। समय आता है और जाता है। मनुष्य आते और जाते रहते हैं। वही मनुष्य जिंदा रहता है जो इतिहास में कुछ ऐतिहासिक कार्य कर जाता है। अगर आज आपने इस आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की घोषणा की है तो मैं समझता हूं कि आप अपने युग में, अपने समय में, अपने जीवन में एक महान कार्य कर जायेंगे जिसके लिये इस देश की महान जनता आपको याद करेगी। यह रिक्वेस्ट मैं सर्वप्रथम करना चाहता था।

श्रीमन्, श्री जकरिया जी अभी यहां पर उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने दो-तीन शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने आर्बिट्रेरी, अनकांस्टिट्यूशनल और डाटा आदि शब्दों का प्रयोग किया। इससे ऐसा लगता था कि पिछड़े वर्ग जो जले हुये हैं उनके ऊपर नमक छिड़क रहा है। मैं इसी रिपोर्ट से एक निवेदन करना चाहता हूं। यह बात इस आयोग के 56 पृष्ठ पर कही गई है। इसमें कहा गया है कि केवल बराबरी में ही समानता होती है। असमानों को समान समझना असमानता को कायम रखना है। किसी समाज की सहृदयता इस बात से निर्धारित की जाती है कि वह अपने कमजोर वर्ग, अपंगों और कम प्रभाशाली सदस्यों को कितनी मात्रा में संरक्षण दे पाता है। मैं समझता हूं कि उनके भाषण का निचोड़ इसमें है।

आप जानते हैं कि हिंदू समाज जातियों में विभाजित है। पहले ऐसा समय रहा होगा जब जातियों को अपने कर्म के आधार पर माना जाता होगा। लेकिन अब जातियां वंशगत हो गयी हैं। उसके इतने रूप हो गए हैं कि वह हमारे समाज के लिए एक कर्श हो गया है। जो लोग जातिवाद को गालियां देते हैं, क्या उन्होंने समाज में जाति प्रथा के लिये कोई विकल्प भी सोचा है? अभी तक हमारे विद्वानों ने, विधायकों ने और अन्य लोगों ने इसके लिये कोई विकल्प नही निकाला है। मैं एक सम्मेलन में था जहां पर सहकारिता को गालियां दी जा रही थीं। उनसे मैंने पूछा कि क्या सहकारिता के लिये आपके पास कोई विकल्प है? उन्होंने कहा कि कोई विकल्प नहीं है। हम तो इसको पुल-आन कर रहे हैं। पुल-आन करने से काम नहीं चलेगा। हमें उसमें सुधार के बारे में सोचना चाहिये। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जाति प्रथा को गालियां देने से काम नहीं चलेगा। हमारा समाज किस प्रकार से जातियों में बंटा हुआ है, उसको हमारे

मित्र श्री कुशवाहा जी ने पाइन्टडली बताया है। मैं समझता हूं कि इस दिशा में हमारे गृह मंत्री जी को कोई ठोस कार्यवाही करनी चाहिये। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो वर्ग पिछड़ा हुआ है उसको हम किस प्रकार से उन्नत कर सकते हैं। मैं इस प्रतिवेदन को पढ़ रहा था। काका कालेलकर के प्रतिवेदन पर भी कोई कायवाही नहीं हुयी। आज हम उस प्रतिवेदन पर विचार नहीं कर रहे हैं। मुझे लगा कि इसमें उनकी मंशा कार्यान्वित करने की नहीं है। जब पिछड़ों को आगे बढ़ाने की बात आती है तो दिल में यह तमन्ना रहती है कि जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं उनको ऊपर उठाया जाय। लेकिन जब वे ऊपर उठना चाहते हैं और उन के लिए ऊपर उठने का अवसर आता है तब ऊपर वालों को लगता है कि उन सब को नीचे जाना होगा ये उनकी बराबरी में आ गये और ये उन से ऊपर उठेंगे। यहां पर आकर उसको ठेस लगती है और तब वह अवरुद्ध पैदा करते हैं। इस अवरोध को पैदा करने के कारण काका कालेलकर कमीशन को रिपोर्ट कार्यान्वित नहीं हुई। आज भी जब मण्डल आयोग की बात आती है तो हमारे और जो दूसरे हैं उनके सोचने में एक दृष्टिभेद है। मैं भी पढ़ता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिये 22.50 प्रतिशत आरक्षण मिले 22.40 आबादी पर। लेकिन 52 प्रतिशत पिछड़े लोगों की आबादी होने पर भी उनको सिर्फ 27 प्रतिशत आधे से कुछ अधिक बात की सिफारिश की गई है। इससे मुझे लगता है कि पिछड़े वर्ग का चाहे वह उच्च कोटि का आदमी भी क्यों न हो वह भी घबड़ा जाता है, कभी हाई कोर्ट को देखकर कभी समाज पर जिनका वर्चस्व है उन लोगों को देखकर थोड़ा हो बोले ताकि विचार न हो और स्वीकृत हो जाय। उन्हें अगर पता था कि उत्तर प्रदेश और बिहार में थोड़ा ही आरक्षण किया गया था, उसका भी डटकर विरोध किया गया था, इसलिये मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि 52 प्रतिशत के लिये 52 प्रतिशत ही मानना चाहिए था। मैं इसलिए भी इस बात को कहना चाहता हूं कि हजारों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से जो पीड़ित रहते हैं, उपेक्षित रहे हैं उनको अगर हम बराबरी पर लाना चाहते हैं तो जो उनका अनुपात है उससे अधिक आरक्षण नहीं देंगे तो तब तक हम उनको बराबरी पर नहीं ला सकते हैं। महोदय, बराबरी की बात जब हम करते हैं तो मैं इस सम्बन्ध में दो-तीन बातें आपके सामने रखना चाहता हूं।

जो समाज एक समतापूर्ण समाज है उसमें बराबरी आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक दृष्टि से हो। इस बात की बराबरी हो कि सम्पूर्ण समाज के सामाजिक कामों, राजनैतिक कामों और शैक्षणिक कामों में उनका भी इनवाल्वमेंट हो। मैं समानता की बात इसलिये भी करता हूं कि आज भी आपस में जाति भेद के जो झगड़े चलते हैं वह मिटे और सम्पूर्ण जातियां अपने को एक रूप में आंक सके। जब तक हम इसको नहीं करते हैं तब तक हम लाभान्वित समाज को नहीं कर सकते हैं। श्रीमन्, जब मैं पंचवर्षीय योजना को देखता हूं तो मुझे लगता है कि योजना कार्यान्वित हुई लेकिन योजना का लाभ डाउन-ट्रोडन पोपुल्स तक नहीं पहुंचा और अगर सचमुच विचार करके देखेंगे तो आपको यथार्थ का पता लग जायेगा। हमारे मित्र मैरिट की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज प्रशासन की क्या स्थिति है, प्रशासन की इतनी गई गुजरी स्थिति क्यों है, क्यों, उसमें उच्च वर्ग के मैरिट वाले नहीं हैं? आज पब्लिक सेक्टर की बुरी अवस्था क्यों है? क्या उसमें मैरिट वाले नहीं हैं। इतनी पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी हमारे देश में लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं उनकी संख्या 40 करोड़ पहुंच गई? क्या मैरिट वाले लोग प्रशासन में नहीं हैं। इसलिये मैरिट की बात करके हम इस मण्डल कमीशन

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

को झुठला नहीं सकते। मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं। मुझे याद है और अगर मैं एक बात कहूं श्रीमन्, कि यहां पर अभी श्री शहाबुद्दीन साहब ने कहा कि गवर्नमेंट नौकरी क्यों चाहते हैं? इसलिये कि गवर्नमेंट नौकरी प्रतिष्ठा का कारण है। लेकिन आज से 20 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले जब युद्ध हुआ था हमारे जिले मुंगेर में। बैकवर्ड लोग जनेऊ पहनना चाहते थे और यह इसलिये क्योंकि जनेऊ हिन्दू समाज में एक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। जनेऊ वे किसी से उधार लेकर नहीं अपने वर्ग से पहनना चाहते थे और ऊपर उठना चाहते थे और इस लिये उन्हें युद्ध करना पड़ा और जब वे युद्ध में जीत सके तब उन्होंने उसका अधिकार पाया। श्रीमन्, इसलिये मैं देखता हूं कि अगर इस प्रकार समानता की बात हम करते हैं तो हमें लगता है कि यह मण्डल आयोग की रिपोर्ट जल्दी कार्यान्वित होगी। इस आयोग की रिपोर्ट को जितनी जल्दी कार्यान्वित कर सकें तभी हम इस काम को कर सकते हैं, सम्पूर्ण समाज को इसमें इन्वालव कर सकते हैं। मैं जब इतिहास के पुराने पन्नों को उलटता हूं, देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने समाज में बहुत दिनों से समाज का इन्वाल्वमेंट राजतन्त्र में भी नहीं हुआ। 4 P. M. नहीं तो कोई कारण नहीं था कुछ हुण आए, कुछ पठान आए, कुछ गुलाम आये और सब आते ही राजा को हरा दिया और इस देश पर सत्ता प्राप्त कर ली। अंग्रेज भी आए तो राजा को हटा दिया और इस देश में सत्ता पर अधिकार कर लिया। क्यों कर लिया क्योंकि समाज का सम्पूर्ण रूप से सत्ता में इंवाल्वमेंट नहीं होता है। आज भी जो समाज का है हमने डेमोक्रेसी अडल्ट फ्रेंचाइज की बात की है आज भी देहातों में अडल्ट फ्रेंचाइज की बात कहीं कहीं दिखावा मात्र रह जाती है क्योंकि, जहां पर शिक्षा नहीं हो, जहां पर आर्थिक स्वतन्त्रता नहीं हो, जहां पर समानता नहीं हो, वहां पर मतदान की भी समानता नहीं हो पाती है। उसी तरह से श्रीमन्, जब तक हम इस आयोग का कार्यान्वियन नहीं करते हैं तब तक हम इस अडल्ट फ्रेंचाइज का भी जो सचमुच में सम्मान होना चाहिये वह सम्मान नहीं होता है। श्रीमन्, मैं दक्षिण हिन्दुस्तान के कुछ राज्यों को अवश्य धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिसमें कर्नाटक ने आगे बढ़ कर के काम किया और उसने बिना चिन्ता किये 48 परसेंट आरक्षण की बात की। और उसको लागू भी किया। श्रीमन्, तमिलनाड् में उसी तरह से और दक्षिणी राज्य इस काम में आगे बढ़े लेकिन जब तक यह सम्पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है तब तक यह कारगर भी नहीं है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से एक बात यह जानना चाहता हूं कि जैसे यह कहेंगे मैंने राज्यों को इसको भेज दिया है। राज्यों पर अधिकतर बर्चस्व हमारे यहां कांग्रेस (आई) का है। कांग्रेस (आई) पर बड़े लोगों का बर्चस्व है उन्हीं लोगों का बर्चस्व है। आज कोई भी राज्य दो एक राज्यों को छोड़ कर ऐसा राज्य नहीं है जो इनके अधीन न हो। वह बिना यहां से जब तक इशारा नहीं होगा वह तिनका भर भी नहीं हिलना चाहते तो क्या आप चाहेंगे कि स्वतन्त्र रूप से आपको जल्दी से जल्दी मण्डल आयोग पर अपना विचार दें। फिर जब राज्य सरकारें कहती हैं कि इस आयोग के लागू करने में शिक्षण सुविधाएं देने में, आर्थिक सुविधा देने में पैसे की आवश्यकता है तो क्या केन्द्रीय सरकार इस आवश्यकता की पूर्ति करेगी? मैं जानता हूं कि बैकवर्ड क्लासेज के बच्चों को जो बैकवर्ड क्लास स्कालरशिप मिलती थी लेकिन अब वह बैकवर्ड स्कालरशिप बहुत कम मात्रा में हो गई है। यह सही है कि लोग सर्विसेज में आरक्षण की बात करते हैं यह सुविधाएं भी उनको कम दी जाती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आर्थिक, शैक्षणिक सुविधाओं में क्या सचमुच गृह मंत्री जी उन्हें देना चाहते हैं। श्रीमन्, जहां पर आरक्षण की बात है मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि

हमें इस बात को भी नजर अंदाज नहीं करना है कि सिर्फ बैकवर्ड में ही गरीब हैं, गरीब फारवर्ड जातियों में भी हैं। औरतें महिलाएं हैं उनके लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश में सम्पूर्ण महिला जाति बैकवर्ड में आ जाती है शिक्षा की दृष्टि से, सर्विस की दृष्टि से तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसी महिलाओं के लिए 5 % आरक्षण कर दें तो शायद मंडल आयोग को कोई विरोध नहीं होगा। इसलिए मैं प्वाइंटेडली इन बातों की ओर पुनः गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि देश को वे किस प्रकार का आश्वासन देना चाहते हैं कि जनता पार्टी द्वारा बनाया गया मंडल आयोग जिसकी रिपोर्ट आपके राज्य में आपको मिली है इस आयोग की रिपोर्ट आपने यहां पर रखी और इसके कार्यान्वयन की स्थिति आप साफ कर दें कि कार्यान्वयन में विशेष तौर पर सर्विसेज का आरक्षण शैक्षणिक सुविधाएं और आर्थिक सुविधाएं हैं जो कि समानता के लिए एक वाइटल चीज है इन पर आपके विचार क्या हैं? इसकी चर्चा मैं यहां पर इसलिए कर रहा हूं कि आप इसको राज्य सरकारों के ऊपर न छोड़े बल्कि आप अपना मंतव्य साफ करें जिससे देश के बहुत बड़ी कम्युनिटी का आपके प्रति विचार साफ हो। और मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी इस ऐतिहासिक अवसर का लाभ लें इसको कार्यान्वित करें जिससे इन को यश मिले, सौभाग्य हो और इस प्रकार से सारे लोग आपको साधुवाद देंगे। इसके साथ ही मेरा विश्वास है कि आप इतना साहस और इतनी कुशलता अवश्य दिखायेंगे।

श्री शान्ति त्यागी (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आज आपने हमें इस बात का मौका दिया कि ऐसे सवाल के ऊपर जिस पर आज पार्लियामेंन्ट में चर्चा है और देश के अखबारात में चर्चा है और पूरे देश में चर्चा है उस पर बोलने का, अपने विचार रखने का आपने अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। श्रीमन्, मैं यह मानकर चलता हूं कि हमारे देश की गरीब पीड़ित जनता ने पिछड़े वर्गों ने और गरीब किसानों ने हमारे देश की आजादी के आंदोलन में सबसे ज्यादा बलिदान किया, बहुत कुरबानियां दीं और बाद में हमारे देश के सर्वांगीण विकास में हमारे देश के औद्योगिक उत्पादन में, कृषि के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में हमारे इस पीड़ित समुदाय ने बहुत ही योगदान किया है। यह बात मैं मानकर चलता हूं और इसलिए मैं समझता हूं कि तारीखी तौर पर हमारे देश के नेताओं ने और खास तौर पर कांग्रेस की जमात ने इस फैक्ट को स्वीकार किया और तस्लीम किया और इसीलिए 1953 में कालेलकर कमीशन की नियुक्ति की तथा बाद में प्रधान मंत्री जी का वह तारीखी प्रोग्राम आया जो इन्हीं पीड़ित और पिछड़े वर्गों के विकास के लिए है। 1978 में मंडल आयोग की स्थापना की, जो इस बात को तसलीम करती है कि इन तमाम समुदाय ने और वर्गों ने, पीड़ित जनों ने हमारे देश के विकास में, आजादी में बहुत बड़ा हिस्सा लिया है और उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना हमारा अव्वल फर्ज बन जाता है। जो हमारी सरकार और देश के नेताओं ने तस्लीम किया है।

माननीय, इस सदन में जो बहस हुई इस सवाल पर आप क्षमा करेंगे हमारे एक माननीय सदस्य श्री कुशवाह जी ने जिस परिधि में उसको खींच लिया, उस पर मुझे थोड़ा

[श्री शांति त्यागी]

अफसोस है। इस मामले में है कि हमारे सरकारी महकमों में और मंत्रालयों में यहां तक प्राईम मिनिस्टर के सेक्रेटेरिएट में भी जब क्लास ए के अधिकारियों की गिनती करायी तो उन्होंने बताया कि ब्राह्मण कितने हैं, बैकवर्ड कितने हैं। यह पूरी सूची पढ़कर सुनाई। मुझे प्रसन्नता होती यदि माननीय सदस्य कुशवाह जी इन अधिकारियों की सूची में ब्राह्मण का जिक्र न करते किसी सेठ, साहूकार के आई० ए० एस० पास लड़के या किसी एकाधिकारी, किसी विजिनेस मैन, सप्लायर किसी बड़े खाते पीते राजा, जमीदार का जिक्र करते, तो प्रसन्नता होती। मैं समझता हूं कि इस ढंग से बात करना सदन की भी गरिमा में कोई सहायता नहीं करता और देश को भी इस डिबेट से जो मंडल आयोग की सिफारिशों पर कर रहे हैं कोई फायदा नहीं होगा।

अब मंडल कमीशन को यह तो विदित ही है कि जो चीजें इक्जामिनेशन के लिए दी गयी थीं उसमें यह कहा गया था कि समाजिक दृष्टि से और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की परिभाषा क्या हो सकती है इसको वह इग्जामिन करे और यह कहा गया था कि कि जब वह परिभाषा करें तो नियत कर लें कि हमारे देश में पिछड़ी हुई जो जातियां हैं इनकी तरक्की के लिए इनके विकास के लिए हम क्या कदम उठायें इसकी भी सिफारिश आयोग करे।

तीसरी बात यह कही गयी थी कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण के बारे में उनके क्या सुझाव हैं। इन तीन चीजों के बारे में प्रतिवेदन में काफी तफसील से जिक्र किया गया था।

मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि जहां तक मैंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को देखा है उसमें 11 प्वाइंट का एक क्राईटेरिया, एक आधार माना गया है कि इस आधार के ऊपर सोशली एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास में उनका हम निर्णय करेंगे। इसमें भी देखने पर सब कुछ कहा गया है। मगर कभी कभी यह भी लोकसाईड हो गया है। फिर भी आखिर में कुछ जाति के आधार पर ज्यादा जोर दिया गया है तो उसको मैं नहीं कहता कि पिछड़ी जातियां देश में हैं ही नहीं। वे तो हैं ही लेकिन इसके बाद जब 11 प्वाइंट गिनाये गये थे तो उनके अन्दर समूची तफसील को आना चाहिए था जो कि नहीं आई। मेरा, श्रीमन्, निवेदन यह है कि हमारे माननीय सदस्यों न बहुत सी बातें कहीं मगर इतनी बात तस्लीम करना हानि की बात नहीं है, खास कर अपने विपक्ष के साथियों से कहूंगा कि हमारे देश में आजादी के 36 सालों में--जिस में तीन साल और भी गुजरे हैं जब कांग्रेस की हुकूमत नहीं थी--आजाद भारत के पिछड़े वर्ग को और पिछड़े समाज को, अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जन-जातियों को जितनी तरक्की हम करना चाहते थे वह नहीं हुई जो हमारी कल्पना थी, वह नहीं हुआ। मगर कोई भी विकास के रास्ते खुले नहीं, ऐसी धारणा एकांगी है, इसलिए न्यायसंगत नहीं है।

श्रीमन्, मैं यह भी निवेदन करुंगा कि पूरा सवाल केन्द्रित हो जाता है आरक्षण के ऊपर। 27 परसेंट आरक्षण की मांग की गई है। उस में कोई बेजा बात नहीं कही गई है। जातियों की संख्या जो 3743 बताई गई है वह ज्यादा

भी हो सकती है, कम भी हो सकती है । योग्य लोग बैठे हुए थे कमीशन में, लेकिन डिफरेंस भी हो सकता है, यह संख्या ज्यादा भी हो सकती है' कम भी हो सकती है । आरक्षण 27 परसेंट आप मांगें, बहुत अच्छी बात है । मैं उस के मुखालिफ नहीं हूं । लेकिन पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए जो अब तक देश में हुआ उस को स्वीकार कीजिए, पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जो राशियां दी गईं, विकास के लिए जो दरवाजे खोले गए, कर्जे दिए गए, सहूलियतें दी गईं उस को स्वीकार कीजिए। उस के बाद यह तकाजा कीजिए, इस बात की मांग कीजिए, गृह मंत्री जी से, हम भी मांग करते हैं कि इन तमाम जातियों के भाइयों के लिए कुछ बिजनेस के दरवाजे खुलें, छोटे और लघु और ग्रामीण उद्योगों के लिए दरवाजे खुलें, जो कर्जा मिलने का तरीका है उस में सहूलियत उन के लिए पैदा कीजिए ताकि जो एक सामाजिक तौर पर सामन्ती जमाने से पिछड़ा हुआ वर्ग रहा है वह नए उद्योगों में आकर आगे बढ़े ।

श्रीमन्, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि कभी-कभार ऐसा भी देखा गया है --मुझे शुबहा पैदा होता है, मैं अपने दिल की बात कहता हूं--ऐसा भी हो रहा है कि पिछड़ी जातियों ने जो तरक्की की, विकास किया उस में कहीं-कहीं ऐसे घर पैदा हो गए हैं जो राजनीति में भी हावी हैं, जो बिजनेस पर भी हावी हैं जमीन के मालिक भी बने बैठे हैं और छोटे-मोटे उद्योगों के मालिक भी बन बैठे हैं, उन के बच्चे और लड़के आई. ए. एस. भी बन गए । तो मैं कहता हूं कि कहीं ऐसा न हो कि जब हम सब काम करें तो कोई न कोई ऐसा आधार रख लिया जाय कि जो लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं कहीं तो उन पर रोक लगाई जाय, नहीं तो पिछड़े वर्गों में भी वेस्टेड इन्टरेस्ट पैदा हो जायेगा, स्थापित स्वार्थ पैदा हो जाएंगे और अपने भाई का गला काटेंगे ।

अन्त में मैं आप से यह दरखास्त करूंगा आप सब से, सरकार से भी और माननीय सेठी जी से भी कि इस प्रतिवेदन के ऊपर आप सहानुभूति पूर्वक विचार करें । यह देश का बड़ा ज्वलन्त सवाल है, देश की तरक्की से जुड़ा हुआ प्रश्न है, करोड़ों लोगों का प्रश्न है । इन अल्फाज के साथ मैं आप का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ने मुझे इस रिपोर्ट पर बोलने का मौका दिया ।

DR. (SHRIMATI) SATHIAVANI MUTHU (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, I thank you for the opportunity given to me to participate in this important discussion. The Mandal Commission submitted its report to the President of India on 31st December 1980, and then there was much delay in laying on the Table of the House the report and the memorandum of action taken thereon, which was done on 13th April 1982. I thank the Government for giving us an opporunity to discuss this report today. The Mandal Commission report created a nationwide interst. Almost all the forums of our nation have discussed this report and given their reaction. The Mandal Commission has done a good thing in defining the backward and the most backward communities. So far as the Tamil Nadu Government is concerned, I am proud to submit to this House that it is far ahead in implementing the Directive Principles of the Constitution..and creating a good atmosphere for the development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other backward communities. In this connection I

[Dr. (Shrimati) Sathiavani Muthu]

I may refer to paragraph 2, page 10 of Part-I of the Report. It says:

> Tamil Nadu has been the pioneer in providing special concessions to OBCs. As indicated in para 2.1, in 1927 Madras Government had classified all the communities of the State into five categories under the famous Communal G.O. and earmarked separate quota for each group for recruitments to Government services. Then Justice Party was there. We come from that Party. This system continued till 1947. In 1947 in view of mounting pressure from backward classes, the Government revised their representation as follows.

I am not going to read this: They have been divided into five groups. Their quota has been increased now. In 1957 the quota was increased. In 1951 this quota was increased to 25 for backward classes and 16 for Scheduled Castes. During the period when DMK was in power it was increased. Now in Tamil Nadu, the Government under the leadership of our beloved leader, MGR have increased the quota to 50 for backward classes and 18 for the SC&ST. It is necessary to eradicate caste system. Our country has many castes, many long urges and many cultures and each caste gets its own separate identity. To create unity among all the castes, steps had been taken by such eminent leaders, both religious and political, like the Buddha, Periyar EVR, Mahathma Gandhi, Dr. Ambedkar, Peragnyar Anna and Vivekanand. Yet we do not find any noticeable change in the caste structure of our society. Separate tendencies perpetuated among all communities. There are many special castes dividing each and every human being and even after 35 years of our independence we do not find any appreciable change in the outlook of our society.

Even among Brahmins we find many special castes such as Aiyars, Iyengars, Trivedies, Chaturvedies, etc. Even among our Tamil Nadu Christians we find Nadar Christians, Mudaliar Christians, Chettiar Christians, Harijan Christians, etc. They do not intermingle and do not inter-marry. any of them do not even dine at the same dining table or dining houses. The Tamil Nadu Govenment has arranged and is encouraging inter marriages and inter-dining specially in the Hindu temples where the casteism is in its high peak. The Government arranges big feasts in all the Hindu temples, specially on days of Indepencence and Republic and entertain all the communities. All sit and dine together and many of the Ministers also participate on such occasions.

In the Mandal Committee Report, he has classified people as Hindus and Non-Hindus. Casteism is more among the Hindus. Non-Hindus consist of converts, namely Christians converted from Hinduism, Islam and some other communities. Casteism exists only in Hinduism. Nobody can dispute this. Among Harijans we find several divisions such as Pallars, Parayars, etc. Though they are down-trodden communities, they do not inter-marry or inter-dine. In some places no pallar goes because it is a Paraya street. Similarly, if a Paraya takes water in a Pallar village, it will not be approved. So, casteism is so deep-rooted. I do not find this kind of disparity or casteism in other religions. Casteism is a social evil or the progress of our nation. We may not be able to change the outlook of our society. Under the Directive Principles of the Constitution, provision is made up to 22.5 per cent for reservation of jobs for the communities belonging to Scheduled

Castes. In regard to the communities which are socially and educationally backward, the State Governments are authorised to take necessary action. We get special provision for the appointment of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The reservation is not implemented properly, and it is only 4-5 per cent which is implemented. The Mandal Commission has recommended a provision of 27 per cent for backward classes. But I do not think it will be implemented properly because we have found that for the last 35 years since our Independence this policy of reservation has not been implemented. The reason as I view it is that our heads of departments are high caste Hindus. They never like to uplift them and they feel that if these people are given equal status then they won't give their respect to them. So our society is based on caste and religion. That is why Mr. Mandal has a motto which says on the first page itself: There is equality only among equals. To equate unequals is to perpetuate inequality. So there is equality only among the educated people, equality only among rich people. The rich, apart from any other community, agree to sit and dine, inter-marry and everything. To unequals they are not eager to become equals. So this is the motto of Mr. Mandal on the first page itself. You must see, Sir, on pages 14 and 15 he narrates how casteism was deep-rooted and how it was implemented. He is referring to many books and tells how casteism was created, how the low-caste were treated, how non-Hindus were treated, how they were not allowed to read, how they were not allowed to own a house or acquire property, and so on. If a 'shudra' acquire property it is not allowed. Even if a 'shudra' commits a mistake he is punished, how the king should see that he is punished. All such things are here. It is described how casteism was treated and how it penetrated into the grass level of Society.

Now, I welcome the suggestions given by the Mandal Commission.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, I only want to draw your attention to the fact that an honourable lady Member is speaking; she is an ex-Minister, and she is a person coming from that community. There are only four Members on the Treasury Benches and we are 18 here. And the Parliamentary Affairs Minister claims here that they are more interested in the backward classes This is just for your information That's all. (*Interruptions*) Sir. this is only a lip sm sympathy.

उपसभाध्यक्ष श्री (लाडली मोहन निगम): मैं कल ही इस पर कह चुका हूं और यह आपके विवेक पर छोड़ता हूं। यह घृणित चीज हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए

DR. (SHRIMATI) SATHIAVANI MUTHU: Sir, the suggestion given by the Mandal Commission for making a provision of 27 per cent reservation of jobs for backward classes will, I hope, set all controversies at rest. In regard to Tamil Nadu, we have made many changes since 1927 encouraging the communities belonging to Scheduled Castes and other backward groups to come forward and get recruited in Government services.

Now, we have come forward with another step. As an hon. Member just now mentioned, casteism has come only because of Hinduism. I don't think that many will dispute this main reason. Even Dr. Ambedkar wanted a Harijan should become a priest in a Hindu temple. But the AIDMK Government enacted a legislation that any person, irrespective of his caste or community, can become a priest. This was contested in the Supreme Court, and was not agreed. Sir, our Government appointed Justice Mahajan Commission which has made a specific recommendation in regard to the appointment of priests. The Commission recommended that any

[Dr. (Shrimati) Sathiavani Muthu]

person irrespective of his caste or community, well-verses in the Agamas may be appointed as a priest in the temple. As I said, any Christian can become the Pope, any Muslim can become a Mullah, but no Hindu can become a priest. The Untouchables are Hindus, the backward classes are Hindus. But they are not allowed to enter the temple at all. That is why Dr. Ambedkar demanded that any Hindu, let him be from any community or caste, well versed in the Agamas should be allowed to become a priest. This was taken again by the DMK Government. Our AIDMK Government has taken it up and the Mahajan Commission was appointed. And they have suggested that any Hindu, well-versed in the Agamas, should be allowed to become a priest.

Sir, now, I would like to request the Government one thing. If you are so keen on implementing this Mandal Commission's recommendations or if you are very much interested to do away with casteism in our country, and if you want to help the Harijans and the downtrodden communities, I would like to request the Govenment to come forward for making necessary amendments in the Constitution so as to enable our State Government to appoint persons from among all the communities as the priests in the temples. To eradicate the casteism in our society, it is an absolute necessity. Unless a person belonging to Harijan or other backward communities feels that he is equal among all others and deserves to get any appointment either in the Government office or in the temples, the recommendations of the Mandal Commission will have no meaning. I request the Government on behalf of my AIDMK Party to ome forward to bring the necessary Bill or amending the Constitution in the matter. We are not against the Brahmins; we are against only Brahminism. But actually in Tamil Nadu, Sir, now the clash is not between the Bhramins and the Harijans, but the struggle is between the Harijans and other backward classes such as Kallan, Meravar, Vanniar Thevar, Ahammadiyar, etc. Hence I request the Government to enhance the Government assistance, particularly Central assistance for special component plans for the Scheduled Castes. Likewise, I request the Government to give more financial assistance to the backward classes also.

उपसभाध्यक्ष (श्री लाडली मोहन निगम) : 8 मिनट आपके थे और 14 मिनट आपने ले लिये हैं ।

SHRI U. R. KRISHNAN: (Tamil Nadu) : Everybody is consuming more than the time allotted.

DR. (SHRIMATI) SATHIAVANI MUTHU: I am finishing, Sir. Not only reservation in employment or in education, but socially and economically also, these backward classes should be given assistance, and they should be given jobs.

Thank you, Sir.

श्री रामानन्द यादव : उपसभाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि बैकवर्ड क्लास कमीशन मंडल के सभापतित्व में बना था और उसकी जो फाइंडिंग्स है, रिकमेन्डशन्स हैं वे इम्पलीमेन्ट की जाएं उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हिन्दुस्तान का जो सोशलिस्टक स्ट्रक्चर है उस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालूं । मुझे अफसोस है कि कार्लमार्क्स हिन्दुस्तान में नहीं पैदा हुआ वह यूरोपियन कंटरी में पैदा हुआ जहां सोशल सिस्टम क्वाइट डिफरेंट था । अगर वह हिन्दुस्तान में पैदा हुए होते तो शायद कास्ट क्राइटेरिया में उनकी नजर जाती । कास्ट भी एक चीज है जिसे वह देखता और उसके आधार पर, जो

उनका अपना सिद्धांत है, वह बनाता । आज क्या है हिन्दुस्तान में जो जाति जितनी ऊंची है उसकी आर्थिक हालत उतनी ही अच्छी है । उसके पास उतना ही लैंड है, अधिक लैंड है, उतने ही उसके पास बिजनेस के अधिक साधन हैं, पैसे हैं, सोशल राइट्स हैं । उसके पास इकोनोमिक्स राइट्स भी अधिक हैं और जो जाति हिन्दुस्तान में जितनी ही नीची है उसके पास उतने ही कम जीवन के साधन हैं । सोशल और इकोनोमिक और पालिटिकल तीनों राइट्स से वह डिपराइव है । सबसे छोटी जाति जो इस देश में मानी जाती है वह एक डोम है जो मुर्दे घाट पर बैठ कर जो मुर्दे जलने के लिए आते हैं उन पर वह आग लगाता है, उससे जो आठ आने, दस आने मिल जाते हैं उसी से वह अपना जीवन निर्वाह करता है । उन लोगों को नीचा माना जाता है । इस देश की जिन लोगों ने सामाजिक रचना की उन्होंने आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक आधार पर जातियों को बांट दिया, जो जातियां जितनी ऊंची हैं उनकी आर्थिक स्थिति उतनी ऊंची है । आज पिछड़ी जातियों के पास क्या है ? उनके पास जमीन भी नहीं है । उनके पास कोई सोशियल स्टेट्स नहीं है । अगर पिछड़े वर्ग का आदमी धनी भी हो तो जब वह गांव के ठाकुर के सामने या ब्राह्मण के सामने जाता है तो खाट पर नहीं बैठ सकता है । उसको अपने छोटों को, जो जाति में ऊंचे होते हैं, प्रणाम करना पड़ता है और वे उसको आशीर्वाद देते हैं । चाहे राजपूत का लड़का हो या ब्राह्मण का लड़का हो । यह उन लोगों को सामाजिक अधिकार है । पोलिटिकल अधिकार होते हुए भी इस प्रकार की स्थिति हमारे देश में है । आज हमारे देश में स्थिति यह है कि भारत की राजनैतिक पर पिछड़े वर्गों का और हरिजनों का कोई वर्चस्व नहीं है । इन दोनों को जोड़ दिया जाये तो इनकी संख्या 80 प्रतिशत से भी ज्यादा हो जाती है । लेकिन आज हरिजनों को वोट नहीं देने दिया जाता है । यह कहा जाता है कि उनके वोट तो हम लाठी के जोर से ले लेंगे । आप पोलिटिकल पार्टियों को देख लीजिये। बिहार में संविद की सरकार एक बार बनी तो कम्यूनिस्ट पार्टी जो बराबर गरीबों की बात करती है उस कम्युनिस्ट पार्टी ने गरीबों को मिनिस्टर नहीं बनाया । उसके दोनों मिनिस्टर ऊंची जाति के थे । गरीब तबके के किसी आदमी को उन्होंने मिनिस्टर नहीं बनाया ।

श्री जी० सी० भट्टाचार्य (उत्तर प्रदेश): आप उनकी पार्टी की बात क्यों करते हो, कम्युनिस्टों की बात क्यों करते हो, अपनी पार्टी को देखो (व्यवधान) ।

श्री रामानन्द यादव : आपका उनके साथ अब नया सम्बन्ध स्थापित हो रहा है । मैं यह कह रहा था कि इस प्रकार की बात सब पार्टियों में है ? कोई भी पार्टी क्लासवाद की शरण लिये बिना चल नहीं सकती है । चाहे वह बामपंथी पार्टी हो या दक्षिण पंथी पार्टी हो । सब को कास्टवाद की शरण लेनी पड़ती है । उसी के आधार पर पोलिटिकल पार्टियों का डवलपमेंट होता है । अभी काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है । मैं श्रीमती इन्दिरा जी को धन्यवाद देता हूं और उनकी सराहना करता हूं..... (व्यवधान) ।

श्री जी० सी० भट्टाचार्य : अगर सब कुछ ठीक है तो फिर क्यों बोल रहे हो ?

श्री रामानन्द यादव : श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि उनके दिल में पिछड़ी जातियों के लिए सहानुभूति है । वे उनकी मदद करना चाहती हैं । और उनकी मदद की भी है । आज तक आप देखिये कि ऊंचे जगह पर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में पिछड़ी जातियों के लोगों को, हरिजनों को, मुसलमानों को स्थान दिया गया है । प्रान्तों से लेकर केन्द्र तक ऊंची जगह पर उनको स्थान दिया गया है । नेहरू जी ने दिया, इन्दिरा जी ने दिया और अन्य

[श्री रामानन्द यादव]

सभी लोगों ने दिया। बिहार में हरिजन को मुख्य मन्त्री बनाया गया, मुसलमान को मुख्य मन्त्री बनाया गया।

श्री जी०सी० भट्टाचार्य : अगर सब कुछ ठीक है तो क्यों यह सब कुछ कह रहे हो। कह दो कि सब कुछ इम्प्लीमेंट हो रहा है।

(**व्यवधान**)

श्री रामानन्द यादव : श्रीमन्, ये मेरा समय बरबाद कर रहे हैं.. (**व्यवधान**)। जब आप बोलेंगे तो मैं आपको एक मिनट भी बोलने नहीं दे सकता हूं। मैं भी हल्ला करना जानता हूं।

श्री जी०सी० भट्टाचार्य : आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है तो फिर क्यों इस तरह से टाइम बरबाद कर रहे हैं.. (**व्यवधान**)।

श्री रामानन्द यादव : श्रीमन् मैं यह कह रहा था कि यह मंडल कमीशन इसलिये बना कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे, जो पिछड़े हुए हैं अदर देन हरिजन और शेडयूल्ड ट्राइब्स उनकी भी माली हालत खराब है, इसलिये उनकी माली हालत की जांच की जाय और कौन कौन सी जातियां हैं जिनको बैकवर्ड क्लास की श्रेणी में लाकर खड़ा किया जाय और कौन से स्टेप लिये जायं ताकि उनकी हालत अच्छी हो यह तय हुआ था कांस्टिट्यूसन के आधार पर जो कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने निर्धारित किया था और उस समय इस बात को माना था कि हिन्दुस्तान में सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं उनके लिये संरक्षण की जरूरत है और सर्विसेज में यह कमीशन बैठा और उनके लिये रिजर्वेशन होना चाहिए। उसके आधार पर यह कमीशन बैठा और इस कमीशन ने अपनी फाईंडिंग्स दी। फाईंडिंग्स में जब रिजर्वेशन की बात आती है तो इसका विरोध किया जाता है और तर्क दिया जाता है कि इससे इन एफिसियेंसी बढ़ जायेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि आप जरा बताइये कि आफिसर जो पिछड़ी जाति के हैं हरिजन हैं उनमें कितने बेईमान हैं और अपर कास्ट के आफिसर कितने कैसेज में फंसे हैं करेप्शन के कितनी दिन भर में वे फाइलें निपटाते हैं और कितने अदर कास्ट के आफिसर निपटाते हैं। मैं सरकार से कहूंगा कि वह एक कमीशन बनाये जो कि इस बात की कम्पोरेटिव स्टडी करे कि कितने ईमानदार पिछड़ी जाति, हरिजन और मुसलमान आफिसर हैं और कितने अपर कास्ट के आफिसर हैं। अपर क्लास के निर्भीक होकर, निडर होकर जो भी चाहते है वह करते हैं। आप सारी सर्विसेज में देख लीजिये कि जो पिछड़े वर्ग के लोगों हरिजनों का जो रिजर्वेशन है शैडयूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है उसका इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ है। जब पिछड़े लोगों के रिजर्वेशन की बात आई तो यह कहना शुरू कर दिया गया कि ये काबिल नहीं है इससे इनएफिसियेंसी बढ़ जायेगी, क्लास बार हो जायेगा काम ठीक से नहीं होगा। लेकिन बात ऐसी नहीं है। ये लोग ईमानदार होते हैं और ईमानदार हैं। अगर अलग यह सोचते हैं इनके ऊपर डाउट करते हैं तो गलत करते हैं। यह बात ठीक है कि इकानामिकली ये लोग आप से कमजोर हैं, उनको पढ़ने की सुविधा नहीं मिली। आपसे अधिक ऊंची शिक्षा के लिये सुविधा नहीं मिलती है इतना एजूकेशन उनको नहीं मिला है यह बात ठीक है। लेकिन यह कहना ठीक नहीं है कि वे काबिल नहीं है। यदि पिछड़ी जाति के लोगों को सर्विस मिलेगी तथा समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, उनको अच्छी रोटी मिलेगी तो उनका मारल बल बढ़ेगा। आप गांव में चले जाइये। गांव में ऊंची

जाति के आदमी सारी इकानामी को लेकर बैठे हुए हैं और गांव का पिछड़ा हरिजन उसके साथ बंधा हुआ है। क्यों बंधा हुआ है? क्योंकि एकानामिकली वह बहुत डाउन है। अगर उसकी आर्थिक हालत अच्छी हो जायेगी तो उसे मारल बल भी मिलेगा और अच्छी एजूकेशन होगी, पढ़ लिख लेगा तो डाक्टर हो जायेगा इंजीनियर हो जायेगा, मजिस्ट्रेट हो जायेगा, सर्विस में चला जायेगा वकील हो जायेगा, दरोगा हो जायेगा तो कम से कम इन गरीबों के लिये एक आधार स्तम्भ हो जायेगा कि ये हमारी रक्षा करेगा । इसके लिये यह जरूरी है कि उनको रिजर्वेशन दें। क्लास बार की बात कही जाती है। मैं आगाह करना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं कि यह आन्दोलन बहुत बड़ा हो सकता है अगर समय रहते हुए नहीं चेता गया, अपर कास्ट के लोग समय रहते नही चेते तो संभव है कि इस देश में ब्लडी रिवोल्यूशन खूनी क्रांति हो जाय। आरक्षण के मामले में बिहार और उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ जो हमने देखा उससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि शांति पूर्ण ढंग से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इसको ठीक तरह से नहीं किया गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं कहूंगा ऊंची जाति के लोगों से कि वे कहें कि तुम हमारे भाई हो, तुम हम से गरीब हो, कम पढ़े लिखे हो, तुम्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं, दूसरे अधिकार प्राप्त नहीं हैं, हम तुमको ऊंचा उठाना चाहते हैं। अगर इस तरह से आप कहेंगे उन्हें अपनायेंगे तो वह आप को समझेगे कि सचमुच आप उनका साथ देना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि लाठी और डंडे से हम यह यह करेंगे तो यह नहीं हो सकता है। इंदिरा गांधी चाहती हैं .. और न उनके मंसूबे हैं और जब सभी पार्टियों के पिछड़ी जाति के एम० पी० उनको मिले तो उन्होंने कहा था कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करें लेकिन दिक्कत यह है कि हमें फाइंड आऊट करना होगा वेज एंड मीन्ज इसका कोई विपरीत असर न हो और उन विपरीत असर को न पैदा करने देने के लिए ही उन्होंने थोड़ी देर की इसको लाने में लेकिन वह चाहती हैं उनके दिल में है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट इम्प्लीमेंट हो और इम्प्लीमेन्ट करेंगे । हमारे साथी हमारी पार्टी के जो अमेठी साईड से माननीय सदस्य आते हैं उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। मैं मानता हूं कि आप रिजर्वेशन मत दीजिये । आप छोड़ दीजिये । लेकिन आप यह तय कर लीजिये कि जिस आदनी के परिवार का एक आदमी नौकरी में है उस में दूसरे को नौकरी नहीं दी जाएगी और जिसके परिवार का नौकरी में नहीं है उसी के परिवार से रिक्रूटमेंन्ट किया जाए। यही आप मान लीजिये । लेकिन यह मानने के लिए आप तैयार नही हैं। जिस जाति का आदमी हाई सर्विस में बैठा है वह अपनी ही जाति के लोगों को रिक्रूट करता है। इससे दूसरी जाति के लोगों में जलन पैदा होती है। आप इसको अवायड करना चाहते हैं तो अच्छा यह होगा कि आप यह निश्चित कर दीजिये कि जिस परिवार का एक आदमी नौकरी पर है उस परिवार का दूसरा आदमी नौकरी में नहीं जाएगा । दूसरी बात यह कीजिये कि जमीन का . . . बटवारा कर दीजिये। कास्टीज्म रहेगा कम्यूनलिज्म रहेगा विषमता फैलेगी जब तक आप आर्थिक विषमता को बना कर रखेंगे । आप कोशिश कीजिये । हमारे यहां भारतवर्ष में सब से बड़ी प्रापर्टी लैंडेड प्रापर्टी है दूसरी चीजों को छोड़ कर । आप देखेंगे आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेगे लैंडेड प्रापर्टी सब से बड़ी प्रापर्टी हैं । आप इस को सभी में बांट दीजिये बटवारा कर दीजिये

[श्री रामानन्द यादव]

तो मेरा ख्याल है कि बहुत हद तक विषमता दूर हो जाएगी। सब को बराबर अवसर मिलगा समान अवसर मिलेगा सब फायदा उठायेंगे। पैदा करने के लिए गांव का सब से गरीब आदमी है, हल चलाता है हरिजन आदिवासी पिछड़ी जाति का आदमी जो लोग खेत के किनारे पर छाता लगा कर बैठे ए होते हैं वे लोग सारी जमीन की फसल अपने घरों में ले जाते है वह हल चलाने वाला भूखा मरता है। आप जमीन का धन का बटवारा कर दें तो कोई आरक्षण नहीं मांगेगा लेकिन आप उसको नहीं करेंगे तो समाज का कोई भला नहीं हो सकता। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से अनुरोध करूंगा इन्दिरा जी से अपील करूंगा कि इस कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए।

डा० महावीर प्रसाद (विहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपने पूर्व वक्ताओं को ध्यान से सुन रहा था। डा० जकरिया साहब जब बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात का उल्लेख किया कि उसी कमीशन के एक एक सदस्य ने नोट आफ डिस्सेंट दिया और उनकी राय उनसे भिन्न थी। मैं सदन को यह बता देना चाहता हूं कि सदस्यगण जिनके बारे में यह कहा गया कि उन्होंने कमीशन की जो सिफारिश हैं उससे उनकी भिन्न राय थी। जो कमीशन की सिफारिश हैं, उसके प्रत्येक पेज पर उनके हस्ताक्षर हैं, हर पन्ने पर हर सदस्य के हस्ताक्षर हैं उसमें उनके भी हस्ताक्षर हैं और उन्होंने जो अलग बातें कहीं वह एक बात थी कि पिछडे वर्ग के लोगों में ही जो थोड़े ज्यादा पिछड़े हैं उनके लिये कुछ विशेष सुविधायें देने की बात कही लेकिन जो अनुशंसा है बी पी मंडल साहब की उससे वह पूर्णतया सहमत हैं, आम सहमति थी, पूर्णतया सहमति है और रिकमन्डेशन के हर पेज पर उनके भी हस्ताक्षर थे। इसलिये इसमें कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए।

डा० रफीक जकरिया : मैं जरा साफ बात कहना चाहता हूं। आपने शायद भाषण बराबर सुना नहीं मैंने कहा कि नायक साहब ने अपने नोट आफ डिस्सेंट में जो अप्रोच रहा है चूंकि मेरा भी अप्रोच शुरू से था जो हकीकत में डिप्रेस्ड क्लासिस हैं इसलिये शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स या अदर बैकवर्ड क्लासिस में जैसा कि नायक साहब ने कहा कि बैकवर्ड क्लास के अन्दर भी वह क्लासिज जो इंटरमिडियेरी या फारवर्ड क्लास की पोजीशन में हैं अगर आपने इस बात का ख्याल नहीं रखा और इकोनोमिक क्राइटेरिया को ध्यान में नहीं रखा तो इसका फायदा यही है उसमें जो अच्छा क्लास है वह ले लेगा। मैंने यह थोड़े कहा था कि इस में यह नहीं किया।

डा० महावीर प्रसाद : मैं यही कह रहा हूं जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में उनकी भी सहमति थी और मैं आपसे यह कहूंगा कि दो कारण बताये जाते हैं कि यदि आरक्षण लागू होगा तो उससे योग्यता को घाटा हो जायेगा। योग्य व्यक्ति को घाटा हो जायेगा। योग्य व्यक्ति छट जायेंगे और दूसरी बात आर्थिक आधार पर सभी को समान हक मिलेगा और सभी समान रूप से लिये जायेंगे। मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले एक उदाहरण दूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री लाडली मोहन निगम): समय आपका बहुत कम है जरा जल्दी करिये।

डा० महावीर प्रसाद : जब मैं विहार में राज्य मंत्री था तो पहली बार

एक सूची मेरे पास आई 142 इंजीनियरों की बहाली की। उस बोर्ड के जो अध्यक्ष थे उनकी जाति के 142 में से 82 व्यक्ति उत्तीर्ण थे, सिलेक्टेड थे। मैंने क्राइटेरिया देखा और कहा कि यह गलत है और परसनैल्टी टेस्ट में 40 की बजाय 15 कर दिया और फिर उसके बाद जो इन्टरव्यू हुआ, उसके बाद जो सूची आई तो जहां उस की जाति के 82 व्यक्ति सिलैक्ट हुए थे वहां सिर्फ 15 व्यक्ति सिलैक्ट हुए। इसलिये यह मैरिट का आधार क्या होगा ? यह वह व्यक्ति तय करता है जो कि इन्टरव्यू लेता है या जो नीति तय करता है। बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति है जो किसको सिलेक्ट कर रहा है और यही बात शाहबुद्दीन साहब बोल रहे थे यूनिवर्सिटियों के बारे में। जहां यूनिवर्सिटियां में मैरिट के बारे में शिक्षकों के सलेक्शन के बारे में बातें की जाती हैं और जो आधार तय किया जाता है उसमें जो नतीजा सामने आता है उससे तो यह लगता है कि जो व्यक्ति ऊपर है, उसी की जाति के लोग चुने जाते हैं। इसलिये योग्यता के बारे में यह कहना कि योग्य व्यक्ति को घाटा हो जायेगा एक भ्रामक सत्य है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जब कोई व्यक्ति शासक होता है तो शासक को अपनी ही जाति के लोग क्यों अधिक नौकरियों में चले जाते हैं व्यापार में चले जाते हैं और दूसरी जगहों में चले जाते हैं। फिर शासन बदलता है तो फिर जातियों के समीकरण बदलते हैं, जातियों के लोग बदलते हैं। इसका क्या कारण होता है। क्या शासकों की योग्यता के मुताबिक, शासक की जाति की योग्यता बढ़ती और घटती है। ऐसा मैं नहीं मानता हूं। यह इसलिये है कि देश में जातियां हैं और जब तक जातियां हैं तब तक जातिवाद चलेगा।

मैं एक उदाहरण से यह बात कहना चाहूंगा। इसी संदर्भ में रुडोल्फ ने कहा कि जातियों का परम्परागत अधिकार तथा कार्यक्षेत्र का पतन हो रहा है। परन्तु जाति संस्थाओं का पुनर्जागरण उन लोगों को प्रभावित करने अथवा उन पर नियंत्रण रखने के लिये हुआ है, जिनके पास राजनीतिक अधिकार हैं और जो साधन, अवसर तथा सम्मान बांट सकते हैं। जाति निष्ठा का विस्तार भी एक नये और बड़े क्षेत्र में हो रहा है।

उल्लिखित वर्णन हिन्दू समाज के सामाजिक संगठन के आधार पर जाति को निर्बल करने के बारे में शीघ्रता से कोई निर्णय लेने के विरुद्ध चेतावनी देता है। निस्संदेह, सामाजिक गतिशीलता के वेग में वृद्धि हो रही है और जाति प्रथा की कुछ परम्परागत विशेषतायें भी अवश्य कमजोर हुई हैं। परन्तु जाति ने कर्मकांड के क्षेत्र में जो कुछ खोया है उससे कहीं अधिक राजनीति के क्षेत्र में पाया है। इसमें ऊंच तथा निम्न जातियों के मध्य समानता में भी कुछ समायोजन हुआ है और जिससे सामाजिक तनाव बढ़े हैं। चाहे इन तनावों ने सामाजिक बनावट को प्रभावित किया है अथवा देश। आंतरिक समायोजकों द्वारा उनको दूर करने में समर्थ हुआ है, वह उन पर निर्भर होगा, कि किस प्रकार समझ बूझ से शासन करने वाली जातियों ऐतिहासिक रूप से दलित और पिछड़े हुए वर्गों की मांग और उनकी उचित आकांक्षाओं को पूरा करती है।"

महोदय, मैं आपसे कह रहा था कि यह बात कही जाती है (समय की घंटी) महोदय, मैं यह कह रहा था कि जहां जाति की बात की जाती है, जाति का जो आधार है वह नहीं होना

[डा० महावीर प्रसाद

चाहिए, आर्थिक आधार होना चाहिए, वहां मैं एक बात कहना चाहता हूं कि लोग पिछड़ी जातियों की सम्पन्नता की गणना करना चाहते हैं और करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि उन सारी योग्यताओं के बाद, उन सारी आर्थिक सम्पन्नताओं के बाद जो कमीशन ने रिपोर्ट दी है और जो नौकरियों का हवाला दिया है वह यह है कि इस देश में कुल सरकारी सेवा में जो लोग हैं उनका प्रतिशत क्या है--प्रथम श्रेणी की कुल नौकरियों में मंत्रालय या विभाग में अनुसूचित जाति का प्रतिशत है 7.18 और पिछड़ी जाति का 2.59, दूसरी श्रेणी में अनुसूचित जाति 13.56 और पिछड़ी जाति 3.98, तीसरी और चौथी श्रेणी में अनुसूचित जाति 30.95 और पिछड़ी जाति 8.41 । कुल मिला कर सभी श्रेणियों में जो प्रतिशत है वह यह है कि हरिजन 16.83 और अन्य पिछड़े वर्ग 4.83 । उस के बाद स्वायत्त निकाय सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय, उसके आंकड़े यह हैं कि प्रथम श्रेणी में हरिजन 6.64 और बैकवर्ड 5.09 , दूसरी श्रेणी में हरिजन 18.16 और बैकवर्ड 11.74, तीसरी-चौथी श्रेणी में हरिजन 20.78 और बैकवर्ड 20.98 । कुल मिला कर सभी श्रेणियों में हरिजन 18.06 और बैकवर्ड 14.43 । उसी ढंग से सार्वजनिक उपक्रम में प्रथम श्रेणी में हरिजन 4.51 और बैकवर्ड 4.59, दूसरी श्रेणी में हरिजन 18.74, अन्य पिछड़े वर्ग 9.91 । इसी ढंग से तृतीय और चौथी श्रेणी में हरिजन 13.72 और बैकवर्ड 15.77 । सभी श्रेणियों में हरिजनों का प्रतिशत है 19.95 और बैकवर्ड का 10.61 । कुल जोड़ यह है कि जहां प्रथम श्रेणी में बैकवर्ड, 4.69 हैं, दूसरी श्रेणी में 10.63 हैं, तृतीय और चौथी में 18.98 हैं, कुल मिला कर सभी श्रेणियों में उन की नौकरियों का अनुपात 12.55 प्रतिशत हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछड़े समाज की आबादी कुल संख्या का जहां 52 प्रतिशत है वहां नौकरयों में उनका प्रतिशत केवल 12 है । यह किस कारण हुआ होगा ? कौन सा आधार है जिस के आधार पर वे नौकरियों में पीछे छूट गए । हर व्यक्ति चाहता है नौकरियों में जाय, अच्छी जगह में जाय । जो थोड़ा आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न भी है तो भी वह नौकरियों में अच्छी जगह नहीं पा सका, पीछे छूट गया । जिस वर्ग की थोड़ी संख्या है, आबादी का 10-12 प्रतिशत वह 70-90 प्रतिशत नौकरियों में प्रतिष्ठित है । मैं यह कहना चाहता हूं कि जाति एक आधार है और जाति आधार यह है कि जो शासन में होता है, जिस आधार पर वह शासन में रहता है वह उस के लिए काम करना चाहता है, उसी ढंग से विचार भी करता है । आज जाति राजनीति को प्रभावित कर रही है । कोई आर्थिक कारण होता तो मैं यह भी जानना चाहता ऐतिहासिक परिवेश में इस देश में 635 रियासतें थीं, उन में 8 को छोड़ कर बाकी सभी बड़ी जाति के लोग थे क्या धन बड़ी जातियों में ही जाना चाहता था ? ऐसा कोई कारण नहीं रहा होगा । यह अनायास घटना नहीं है उसके पीछे आधार तो रहा होगा, ऐतिहासिक तथ्य तो रहा होगा । यह कौन सी बात थी कि सारी के सारी सम्पत्ति बड़ी जातियों के पास चली गई, हरिजनों के पास नहीं गई । इस से यह स्पष्ट होता है निश्चित तौर पर कि आर्थिक आधार की चर्चा करना बेईमानी की बात है । उस के लिए जो तत्य है,

जो तथ्य हैं, जो आंकड़े हैं, जो बातें हम कहते हैं वह उस से अलग हट कर हैं। मैं आप से यह भी कहना चाहता हूं कि जब हम इन बातों की चर्चा करते हैं तो मेरा मन भी जलता है। जब हम इन बातों की चर्चा करते हैं और पिछले तीन हजार वर्षों का इतहास देखते हैं जिस आधार पर हम पीछे छूट गए हैं तो यह बात मेरी समझ में आती है कि हम पीछे क्यों हैं, मुझे आज यह कहने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि हमें आरक्षण हो, मुझे भी अधिकार दिया जाय, मुझे भी उसी ढंग से आगे बढ़ाने की कोशिश की जाय जैसे दूसरे लोग हैं ।

मुझे बहुत खुशी होती कि हम आज ऐसी स्थिति में होते कि हम उन लोगों की मांगों को स्वीकार करते या नहीं करते । लेकिन ऐसी स्थिति में हम आज नहीं हैं । आखिर हम जो पीछे छोड़े गये, पीछे रह गये यह दोष किस का है । यह जो तर्क दिया जाता है कि अगर आप को मौका देंगे तो दूसरे जो योग्य लोग हैं उन को घाटा हो जायगा, तो इस सम्बन्ध में मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हम पीछे रह गये तो किस के कारण हम पीछे रह गये। हमारे पुरखों को किस ने पीछे छोड़ा था ? हमारे पुरखों को किस ने सम्पत्ति के अधिकार से वंचित किया था ? शैक्षणिक योग्यता हम जो हासिल नहीं कर सके उस में पीछे रह गये उसके लिये क्या हमारा दोष था या हमारे पुरखों का दोष था या जो उस समय उस व्यवस्था के मालिक थे उन का दोष था ? अगर उस मालिक ने उस व्यवस्था के आधार पर हम को पीछे छोड़ा था तो उस का दोष जो है उस का फल आज हमें नहीं भुगतना चाहिए । बल्कि हमें वह अधिकार मिलना चाहिए जो सदियों से हमारा रहा है और जो अधिकार हमारा छीना गया है । दो ढंग से इस पर विचार करना चाहिए—मानवीय संवेदना और मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर । जो हमें अपने अधिकार से वंचित किया गया, दूसरों को तरजीह देकर अगर इस को दोष दूसरों ने किया है तो उस का फल हमें नहीं भुगतना चाहिए जो हमें दबाते रहे हैं और जिन्होंने हम को पीछे रखा है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानन्द जी ने 1894 में ही कहा था कि उच्च वर्ग के लोगों, मैं तुम्हें सावधान करता हूं कि तुम शूद्रों को ज्ञान और संस्कार दो । उन्हें सत्ता में आने से तुम रोक नहीं सकते। यदि तुम उन को ज्ञान और संस्कार दोगे तो वे तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेंगे, नहीं तो जब वे अपने अज्ञान के साथ सत्ता में आयेंगे तो तुम्हारे साथ बहुत खराब व्यवहार करेंगे । परन्तु तुम उन्हें सत्ता में आने से रोक नहीं सकते। यदि स्वामी विवेकानन्द सन्त पुरुष हैं तो उन की बात सत्य होगी क्योंकि यह बात एक दिन की नहीं है । वशिष्ठ से ले कर श्रीमती इन्दिरा गांधी नेहरू तक और विश्वामित्र से ले कर डा लोहिया तक जो दो विचारधारायें देश में चली आ रही हैं यह उन दोनों धाराओं के बीच की लड़ाई है । अभी तक तो विश्वामित्र हारता रहा, अभी तक तो बुद्ध हारता रहा, अभी तक तो शंकराचार्य जीतता रहा और कबीर हारता रहा तुलसीदास से, अभी तक तो नेहरू से डा लोहिया हारते रहे लेकिन आने वाले समय में डा लोहिया की विचारधारा की जीत होने वाली है और अब किसी भी आधार पर आप उन को अधिकार लेने से रोक नहीं सकते । महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यदि ऐसा होने पर तनाव होगा, सामाजिक तनाव होगा और सामाजिक विषमता के आधार पर तनाव होगा

[डा० महावीर प्रसाद]

और अब आप उस तनाव को भी रोक नहीं सकते ।

शान्ति नहीं तब तक जब तक सुख
भोग न नर का सम हो,
नहीं किसी को बहुत अधिक हो,
नहीं किसी को कम हो,
न्याय शान्ति का प्रथम न्यास है,
जब तक न्याय न आता,
जैसा भी हो महल शान्ति का,
सुदृढ़ नहीं रह पता ।।

इसलिये मैं आप से कहना चाहता हूं (समय की घंटी)

मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं.....

श्री रामेश्वर सिंह : वे जो कुछ कह रहे हैं उस से अधिक तर्कसंगत बात और क्या हो सकती है ?

श्री महावीर प्रसाद : तो मैं यह कहना चाहता हूं कि समाज के बहुत से लोगों को उन के अपने अधिकार से रोका नहीं जा सकता । आप उन को अपने अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। वैसे भले ही आप अधिकार न देने की स्थिति में हों लेकिन जिस तरह से डी० एम० के० ने अधिकार प्राप्त कर लिया है उस स्थिति का अन्दाजा आप स्वयं कर सकती है जैसे तमिल नाडु में स्थिति है वही स्थिति हमारे यहां भी आ सकती है। अगर आप स्वयं से नहीं झुकेंगे और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को कार्यान्वित नहीं करेंगे तो डी० एम० के० दक्षिण में ही नहीं हिन्दुस्तान के सारे कोनों में आ जाएगा । डी० एम० के० बिहार में आयेगा, उत्तर प्रदेश में आयेगा और लखनऊ और मध्य प्रदेश में आयेगा और इस ढंग से हम उस अधिकार को ले कर रहेंगे । इस संघर्ष में चाहे दो वर्ष लगें या 5 वर्ष लगें या 15 वर्ष लगें, लेकिन आने वाला समय इस बात को बताता है कि आप सचेत होइये, आप समय को पहचानिये और समय की धारा के अनुसार चलने की कोशिश कीजिए । बहुत दिनों के लिये आप इस को नहीं रोक सकते। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि बी० पी० मंडल कमीशन की बहुत थोड़ी सी सिफारिशें हैं । वह ऐसी नहीं हैं कि अगर नौकरियों में उस वर्ग के कुछ ज्यादा आदमी आ जायेंगे तो उन का कायाकल्प हो जायगा । वह केवल उन को थोड़ा ऊंचा उठाने के लिये और गिरे हुए मनों को जाग्रित करने के लिये एक मनोवैज्ञानिक कारण होगा, सहारा होगा, लेकिन इस के साथ ही आर्थिक स्थिति में थोड़ा अन्तर तो आयेगा ही और इस के साथ ही जो दूसरे आर्थिक उपाय उन को उठाने के लिये किये जाने हैं वे तो आप को करना ही हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप आरक्षण के सिद्धान्त को स्वीकार करिये और सिर्फ स्वीकार ही न करिये बल्कि ईमानदारी से उनको लागू कीजिए देश में और सारे प्रदेशों में । मैं जानना चाहता हूं कि प्रायः सभी जगह प्रदेश स्तर पर आरक्षण का सिद्धान्त लागू है लेकिन उस के पीछे जो चालाकियां हैं, उस को पूरा न करने की जो कोशिश हो रही है, मैं उस से अवगत हूं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि कमीशन की सिफा-

5 PM रिशों को लागू करिये और ईमानदारी से लागू करिये और उनको भलीभांति लागू करिये ताकि उन लोगों को लाभ मिल सके जिनके लिए यह बनाया गया।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आपसे कहना चाहूंगा कि समय से पहले चेतिये, समय की धारा पर चलिये, समय को पहचानिये और देश के बहुसंख्यकों को लाभ पहुंचाइये । ऐसा करके ही आप राष्ट्र

निर्माण में योगदान दे सकेंगे । देश के अधिसंख्य समाज की प्रगति कर सकेंगे और राष्ट्र निर्माण कर सकेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: Mr. Vice-Chairman, Sir, I just want to say that there is a discussion at 5 o'clock. It is not possible to take it up today and if the hon. Member agrees, you can postpone it. The Deputy Parliamentary Affairs Minister will find some other time for it. Members want to speak on this Mandal Commission Report. That will be better, Sir.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : कल करिये, मुझे कोई ऐतराज नहीं है ।

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : कितने कल आयेंगे, यह मार्च में पहले रखा गया था । मार्च से आज तक नहीं हुआ । ...(व्यवधान)

SHRI V. GOPALSAMY: Mr. Vice-Chairman, Sir, I want to make my submission. Let us take the Half-an-Hour Discussion also. But the discussion on the Mandal Commission Report should be continued tomorrow. That is my submission.

उपसभाध्यक्ष (श्री लाडली मोहन निगम) : कमीशन की रिपोर्ट आज डिस्कस होगी उस पर सब सहमत हैं, लेकिन आज ही उस पर बहस पूरी हो जाएगी । जितने दल के लोग अभी नहीं बोले हैं वह बोलें, जितनी देर तक चाहे बैठें ।

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, सभी दलों के नेता बिजनस ऐडवाइजरी कमेटी में रहते हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि आदरणीय कुलकर्णी जी जो इतने सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन हैं, जो मन में आये खड़े होकर कह देते हैं बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में तय हुआ था कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर आज बहस होगी । मैं सहमत हूं माथुर जी चाहे तो उनके प्रस्ताव पर आज बहस न हो, लेकिन जब तक आप चाहें यह बहस हो लेकिन आज ही खत्म होगी ।

SHRI V. GOPALSAMY: This is an important matter.

SHRI KALP NATH RAI: Let me say.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LADLI MOHAN NIGAM): Let him say, please.

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, यह तय हुआ कि साढ़े चार बजे आदरणीय सेठी जी इसका जवाब देंगे । लेकिन आदरणीय माथुर जी ने अपना प्रस्ताव आधे घंटे की बहस का न लेने के लिए मान लिया है, इसलिए बाकी जो मैम्बर्स बच गये हैं वह बोलें और मंत्री महोदय उसका जवाब देंगे ।

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: Mr. Vice-Chairman, Sir, please listen for a moment. He has referred to my intervention. I intervened only to say that there should be ample scope for discussion on the Mandal Commission Report. The Half-an-Hour Discussion can wait for some time.

उपसभाध्यक्ष (श्री लाडली मोहन निगम) : आप लोग शान्त होइये और बहस चलने दीजिए ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मेरा हाफ एन आवर का क्वैश्चन है, मैं इस

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

बात को मानता हूं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर बहस होनी चाहिए, इसलिए मैं अपने हाफ एन आवर को कल के लिए टाल सकता हूं, कल कर लीजिए ।

But it should be tomorrow, not the day-after.

श्री कल्पनाथ राय : हम ऐग्री करते हैं ।

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Has it been deferred for tomorrow, Sir ?

उपसभाध्यक्ष (श्री लाडली मोहन निगम) : यस, सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपनी समय की सीमा में रहकर बोलें । श्री के० सी० पन्त ।

SHRI KRISHNA CHANDRA PANT (Uttar Pradesh): Sir, the founding fathers of this country were men of vision. They committed themselves to the transformation of our society, in actual fact the transformation of an ancient society, into a society without exploitation or discrimination, a society with justice and a society in which equality of opportunity could be created. But against the backdrop of poverty, which was a reality in 1947 and which is a reality today, it was not possible to do this overnight. So these objectives were included in the Constitution, in the Preamble in the Directive Principles and in the whole scheme of the Constitution. The reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is one of the important weapons for this purpose. I do not want to go into that. I think it was necessary and I think it still is necessary. And I think that despite the few criticisms of the details of the implementation of the reservation principle which have been made here, on the whole the reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes has resulted in the amelioration of the conditions of these communities.

Sir, there is a ferment in India. New communities are coming into the field of education. The zamindari system was abolished. The kisan who tilled the soil came into his own. New communities acquired wealth. There is a desire to participate in the political life of the country, in the economic affairs of the country. This is legitimate. The kind of society which we wanted to form, which the founding-fathers foresaw, was a society in which inequalities would be removed. Therefore, they gave education a key-position in the scheme of things. Any step that is taken in this direction is, therefore, to be welcomed. And both the Kaka Kalelkar Committee Report and the Mandal Committee Report broadly fit into the broad scheme of things. Sir, the only point that sometimes bothers me, while listening to some of the speeches also, is that when you have a good objective, a noble objective, the steps that you take to achieve that objective must be in harmony with that objective itself. And if the objectives is to form a casteless society, if the objective is to form a society in which all are equal I know it is a very difficult task, but if this is the objective—then at each step we must not create a society in which caste becomes a factor of division and in which the stratification in our society, which is unfortunate, becomes calcified, becomes strengthened, because that will vitiate the process and will take our goal farther away from us. Therefore, while social mobility is there, we have got to see also that whatever we do, we do not perpetuate caste in the name of

removing caste barriers. That is important. Therefore, whatever step we take must fit into the broader framework which we have in mind. I think Gandhiji's dreams can only be achieved if we keep both the objectives and the means, the ends and the means, in mind.

The question is not of a few people in this House. Crores of people are involved. And there is no doubt that the economic opportunities in this country have not grown fast enough to accommodate the rising aspirations of the people. But so far as education goes, can the same be said ? New education opportunities have come up. They are not being used by the people for whom they are meant in many areas. That is because the economic factor comes into play. I have seen schools in rural areas where even those who get scholarships do not go. Even children whose education is free, who are given scholarships, incentives, do not go to school because their parents see the educated unemployed in the village and that is such a disincentive that they would rather use their children for some immediate income than send them to school. Now here is an economic factor which is operating all over the country. Therefore, with all our goodwill, I do not think making speeches here is going to change the situation so far as these sections are concerned unless we go deeper into their problems. So the question is that when so many people are below the poverty-line, when we extend this principle, how do we do it ? What should be our approach ? I think that emphasis must be placed on the economic criterion. Because, there is nothing more demeaning in modern life and there is no greater handicap than poverty. And that is something which all of us have experienced in public life, all of us who have travelled over the length and breadth of this country have seen what poverty does to people. Therefore, in our country which has adopted a socialist approach, we must understand that caste and class in this country have a strange relationship; they are largely co-terminus, as Mr. Shahabuddin said, but perhaps not wholly, and the realities of the rural society have to be taken into account. There are the miserably poor people. Now, those who say that among backward classes there are no poor people, they are not seeing the reality. There are very poor people amongst the backward—classes. It is wrong to say that just because there are also relatively prosperous people who own land, who have benefited by irrigation and who today may be relatively better off in the rural community, there are no others who are very poor, who come within the broad category of backward classes. So we have got to see that these persons who qualify for special assistance, that they catch up with those who are ahead of them in the race for development, in order to create a kind of sociey which I mentioned. They are the weakest in our family, in the family of this nation and they must be helped. Therefore, all of us have to approach this problem not out of charity but as their right as the weakest members of this family and we have to give them this right.

I would prefer what some other friends have also said, that there should be compulsory universal education. It was provided in the Constitution; it is mentioned, but, as I said, it has not become a reality. And I have mentioned one of the factors responsible. Here is a kind of approach which I would prefer, that if you have compulsory education for all, and if you help these who do not have the means, to send their children to school even if there is a slight element of

[Shri Krisha Chander Pant]

coercion in making people send their children to school, I would welcome that, because education is the key, training is the key, by which all these sections who today are disabled, who are below the poverty line, who are hopelessly poor, they can see a better future, children can see a better future. So, this is the approach which I would recommend.

Now, I would mention briefly because I know we are short of time—there is the question of other communities or other religious communities, other than the Hindu communities that is, the Muslim community, the Christian community. Now, I know that there are some communities mentioned in the Mandal commission report. But really speaking, basically I have always felt that we in the Hindu society who are opposed to caste factors and who are rather sorry that even after 35 years of the independence the caste factor seems to be coming stronger in our life rather than weakening, that we observe this factor with some dismay, and here we are taking steps which will lead to the induction of this pernicious principles of castes into communities which are basically far more socially equal like Islam. After all Islam and Christianity are noted for the fact that social equality prevails there and has been aweakness of Hinduism that social equality does not prevail in Hinduism. We are today —doing something which may will introduce this element into these religious communities also. Can we not find some other way to genuinely help the poor the socially and educationally backward in these religious communities without necessarily bringing in the caste element ? I would request the Government to consider whatever assistance can be given to them, to see whether this approach cannot be adopted.

Sir, as I said, the economic factor must be given priority. I would think that the Janata Government, amongst other things, had adopted an Anthyodaya approach I was thinking in my own mind whether this particular kind of approach a beginning with the poorest and an educationally and socially the most backward, cannot be adopted. In many cases they are the same, but in some cases there is some difference those who are economically most backward have the least chance to come up in our society. Unfortunately the materialistic principle is going to operate for more quickly than anybody has expected. When this, is a fact, unless we can help these people, I do not see how they can come up. Can we not think of including the poorest and the weakest and than more and more people in this programme ?

I come to my last point The speaker before me spoke of Swami Vivekananda. I was then reminded of a series of social reformers during the last 100 years, such as, Raja Ram Mohan Roy, Dayanand Saraswati and Mahatma Gandhi. We had thus a series of leadership in our political life and public life and religious life who have carried out social reforms and who have led renaissance movements in this country and who had fought against the evil in the Hindu society, and with great success. Arya Samaj movement will show how successful it was. It has thrown up leaders like Chaudhuri Charan Singh and people who have fought against the caste principle. They should plead for a principle, which carries the social reforms forward and not backward. I am talking of general principles. It seems to me that we are at a stage of evolution of our society when we should encourage vertical integration within the Hindu society and horizontal integration with others. It should be a bottle which, if

shaken up, will produce a new mixture. That is tho concept we should have. All the walls should break. Or, should we strengthen the walls that separate us ?

In the end, I would plead for a certain amount of caution. If we introduce more principles which will divide us, it will create problems in the future. While I agree with the objective , I think our approach should be one which will not create problems in the future. This is basicially my plea to-day and I would once again plead that for the modern socierty which we have to form in order to face the challenges of today and tomorrow, this is the only approach that will be tenable in the long run.

श्री सूरज प्रसाद (बिहार) : श्रीमन्, मेडल कमीशन की रिपोर्ट की जो सिफारिशें हैं उसका मैं कुछ संशोधनों के साथ समर्थन करता हूं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में सिर्फ नौकरियों के आरक्षण का ही प्रश्न नहीं है, उसमें शैक्षणिक सुविधायें देने की बात भी है और कुछ छोटे मोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है ताकि जो समाज के पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोग हैं उनकी आर्थिक हालत में सुधार हो सके। जहां तक आर्थिक पहलुओं पर अभी जो बहस चल रही थी, उसमें मुझे जो इम्प्रेशन पड़ा वह यह है कि शैक्षणिक सुविधायें दी जाय और छोटे मोटे उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाय ताकि समाज के जो कमजोर तबके के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं उनकी हालत में सुधार हो सके। इस पर कोई मतभेद नजर नहीं आता। अभी पंत जी भाषण कर रहे थे। उनके भाषण से मुझे ऐसा लगा कि शायद वे मंडल कमीशन के आर्थिक पहलुओं के बारे में तो सहमत हैं कि शैक्षणिक प्रोत्साहन के लिये सहायता दी जाय, आर्थिक सहायता भी दी जाय और जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हें उठाने के लिये आर्थिक कदम उठाये जांय जो कि गरीबी की रेखा के नीचे हैं। इससे उनको सहमति है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वे इस बात से असहमत हैं और कुछ और सदस्य भी भाषण कर रहे थे, श्री जकरिया जी हैं, उनके भाषण से भी ऐसा लगा कि वे इस बात से असहमत है कि नौकरियां में उनको आरक्षण दिया जाय और वह भी कास्ट के आधार पर। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कास्ट के आधार पर आरक्षण हिन्दुस्तान में कोई नया नहीं है। यह हिन्दुस्तान में 19वीं शताब्दी से प्रचलित है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में और राज्य में आरक्षण बहुत पहले कास्ट के आधार पर चलते हुए आया है और बाद मे आजादी के बाद भी इसे दूसरे राज्यों में प्रचलित किया गया। मुझे एक बात ही समझ में नहीं आती केन्द्रीय सरकार की बात से कि जब राज्य सरकारें आरक्षण को लागू करती हैं अपने राज्यों में तो केन्द्रीय सरकार को आरक्षण को लागू करने में क्या आपत्ति है। रीयल प्राब्लम यह नहीं है कि आरक्षण कहां लागू हो, आरक्षण कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो करीब करीब सभी राज्यों में प्रतिशत भिन्न भिन्न हो सकता है। कहीं 27% है तो कहीं कुछ है और कुछ कहीं है तो कहीं इससे भी ज्यादा है। तो असल प्रश्न यह है कि केन्द्रीय सरकार आरक्षण के सिद्धान्त को नौकरियां में लागू करेगी या नहीं। हमारी समझ यह है कि केन्द्रीय सरकार को भी नौकरियों में आरक्षण के सिद्धान्त को लागू करना चाहिये। जहां तक संविधान का प्रश्न है संविधान इसके रास्ते में बाधक नहीं है। संवैधानिक तौर पर आरक्षण का सिद्धान्त सविधान के अन्दर प्रतिपादित है और इससे कोई इक्वालिटी के सिद्धान्त को चुनौती भी नहीं

[श्री सूरज प्रसाद]

होती है। मैं कास्टीट्यूशन की धारा 16 की एक लाईन पढ़ कर सुना देता हूं :—

"(4) Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State is not adequately represented in the services under the State."

अभी हमारे महावीर प्रसाद जी ने या इन्होंने बोलते हुए कहा था कि नौकरियों के अन्दर पिछड़ी जातियों का रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है, प्रोपोरशन नहीं है शक्ति के मुताबिक उनकी स्ट्रेंग्थ के मुताबिक और उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिये थे मैं उनके आंकड़ों से सहमत हूं। नौकरियों में पिछड़ी जातियों के अन्दर प्रतिनिधित्व न होने से प्रशासन के प्रति पिछड़ी जातियों का समर्थन नही मिल सकता है और नौकरियों में पिछड़ी जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व ज्यादा हो तो सरकार के द्वारा जो विभिन्न विकास के कार्य दिये जाते हैं संचालित किये जाते है उसे लागू करने में प्रशासन को काफी इससे मदद मिल सकती है। इसलिए यह बात जो मैं कहना चाहता हूं कि वह यह है कि अगर प्रशासन को सरकार की की नीतियों को सही ढंग से लागू करना है अभी जो नही लागू हो रही है उसका प्रधान कारण यह है कि जिनके लिए सिद्धांत बनते है बेनिफिशियरीज जो है उनके लिए जो यह बातें बनती हैं उनको लागू करने वाले दूसरे लोग हैं इसलिए अगर उन नीतियों को लागू करना है प्रशासन के अन्दर तो बेनिफिशियरीज के लाभ के लिए उनके तबकों के लोगों को प्रशासन में लाना बहुत जरूरी है। एक बात मैं यह कहना चाहता था। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इस सम्बन्ध में कोई इल्युजन नहीं होना चाहिये कि आरक्षण करने से देश के अन्दर बेकारी की समस्या का समाधान हो जाएगा यह मेरे दिमाग में नहीं है। आरक्षण बेकारी की समस्या का साधन नहीं है। इस बात को सरकार को भी समझना चाहिए और हमारे दूसरे साथियों को भी समझना चाहिए लेकिन इससे होगा क्या। आरक्षण से भी अभी समाज के अन्दर जो विद्वेश की भावना है जो असमानता है जो ईर्ष्या, द्वेश है उसको पाटने मे सहायता मिलेगी। हमारे राज्य का उद्देश्य है नेशनल इंटेग्रेशन होना चाहिए। हमें समझना यह है कि क्या इस तरह से नौकरियों में न बराबरी के स्थान रखने से क्या राष्ट्रीय इंटेग्रेशन में हमें सहायता मिल सकती है। मेरा ख्याल यह है कि राष्ट्रीय इंटेग्रेशन में इससे सहायता नहीं मिल रही है। इस तरह से आरक्षण से राष्ट्रीय इंटेग्रेशन में सहायता मिलेगी, इस दिशा में इसलिए बढ़ने की जरुरत है।

दूसरी बात इस सम्बन्ध में जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हाल के दिनों में सामाजिक क्षेत्र में, देहाती क्षेत्र में कुछ परिवर्तन हुआ है। विकास के कदमों को लैण्ड रिफार्म को ठीक से करने से पिछड़ी जातियों के हिस्से में भी विकास आया है, इसमें कोई शक नहीं है। उनमें भी कुछ कृषि के क्षेत्र के जरिए से विकास उन लोगों ने किया है। प्रश्न उठता है कि अगर वह विकास उन्होंने किया है तो क्या आरक्षण बिल्कुल आर्थिक आधार पर किया जाए। नहीं, यह मेरा कहना नहीं है। मैं बिहार से आता हूं। बिहार के अन्दर में आरक्षण का एक फारमूला लागू किया गया है, मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं।

बिहार के अन्दर 26 परसेंट आरक्षण जनता पार्टी की हुकूमत के दरमियान में हुआ और उसमें आर्थिक क्राइटेरिया रखा गया पिछड़ी जातियों के लिए 12 हजार जिनकी आमदनी है वे आरक्षण के अन्दर में नहीं आते हैं। 12 हजार से ऊपर वाले को आरक्षण नहीं है, पिछड़ी जाति के लिए भी । अब पिछड़ी जातियों में भी दो भाग हैं । पिछड़ा वर्ग एनेक्सर एक और पिछड़ा वर्ग अनेक्सर दो । पिछड़ा वर्ग अनेक्सर एक के लिए 12 प्रतिशत है और अनेक्सर दो के लिए आठ प्रतिशत तथा तीन प्रतिशत महिलाओं और तीन प्रतिशत हायर कास्ट के लोगों के लिए भी आरक्षण है । 26 परसेंट का इस तरह से बंटवारा है । 12 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग अनेक्सर एक को, आठ प्रतिशत पिछड़ा वर्ग अनेक्सर दो को, तीन प्रतिशत महिलाओं को और तीन प्रतिशत हायर कास्ट के इक्नामिकली बैकवार्ड लोगों के लिए इस तरह का आरक्षण है । इसलिए मैं चाहता हूं कि यह बिहार का फारमूला पूरे देश के पैमाने पर एक फारमूला बन सकता है । हायर कास्ट के लोग बोलते हैं कि हमारी जातियों में भी पिछड़ी जातियां हैं, हमारी जातियों में इक्नामिकली पूअर है, बैकवर्ड हैं । तो यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता है । मैं कह सकता हूं पूरी जिम्मेवारी के साथ कि सरकार की जो आर्थिक नीतियां गत 30 वर्षों के दरमियान में रही हैं उन्होंने असमानता को बढ़ाया है । उन्होंने समाज के अन्दर में एकता बनाने के स्थान पर समाज के अन्दर में विद्वेष को बढ़ाया है। क्योंकि सरकार पूंजीवादी रास्ते पर विचलित हो रही है, अपना विकास कर रही है इसलिए यह असमानता समाज में पदा होती चली जा रही है । इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आरक्षण के सिद्धांत को मैं स्वीकार करता हूं... (समय की घंटी) । दो मिनट ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं और वह यह है कि समाज के अन्दर में इस आरक्षण के सिद्धांत को मानते हुये हमें एक इन्टरवल पर, पांच या 10 वर्ष में इस बात की समीक्षा करनी चाहिये कि इस दरमियान में क्या तरक्की हुयी समाज के अन्दर में क्या परिवर्तन आया, कौन सा वर्ग आगे आया, और कौन सा नहीं आया । इसका निरूपण होना चाहिये और उसके मुताबिक आरक्षण के सिद्धांत को लागू करने की दिशा में विचार करना चाहिये। यह दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं ।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आरक्षण समस्या का समाधान नहीं है। अगर सरकार सही मायने में देश के अन्दर में असमानता को दूर करना चाहती है, गरीबी को मिटाना चाहती है और समाज के अन्दर में एक सामाजिक समानता का राज बनाना चाहती है तो उसका एक ही रास्ता है और वह यह है कि हिन्दुस्तान के आर्थिक सिस्टम को नये सिरे से सृजित किया जाय ।

मंडल कमीशन ने दो तीन बातों पर बहुत जोर दिया है और यह कहा है कि सिर्फ आरक्षण से समस्या का समाधान नहीं होगा। उसने यह भी कहा है कि रेडिकल लैण्ड रिफार्म करना चाहिये । उसने यह भी कहा कि शैक्षणिक सुविधायें पिछड़ी जाति के लोगों को दी जानी चाहिये । इसलिये हमारी समझ में देश के अन्दर में असल प्रश्न यह है कि जो बेकारी है उसका समाधान क्या है ? बेकारी के समाधान में आज सरकार असफल है। इसके चलते

[श्री सूरज प्रसाद]

विभिन्न जातियों को लेकर झगड़े हैं और कंफ्रंटेशन है, नौकरी प्राप्त करने की दिशा में झगड़ा है। अगर समाज के अन्दर में ऐसी व्यवस्था हो जाय कि सबको हम काम देंगे, अगर इस सिद्धांत को मान लिया जाय तो मैं समझता हूं कि समाज के अन्दर जो कंफ्रंटेशन है जो नौकरियों के लिये मार पीट है उसका समाधान हो सकता है।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार नये सिरे से आर्थिक सिद्धांत को निरूपित करने की दिशा में, रेडिकल चेंज करने की दिशा में, समाजवादी सिद्धांत जो संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है उतने तक ही सीमित न रखते हुये रियल लाइफ में उतारने के लिये कदम उठाना चाहिये। इससे बहुत लाभ हो सकता है। इन्होंने शब्दों के के साथ आरक्षण के सम्बन्ध में जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है उस पर मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसके साथ उस का समर्थन करता हूं।

SHRI MURASOLI MARAN (Tamil Nadu) : Mr. Vice-Chairman, I rise to support the recommendations of Mandal Comission Report, the important one being that 27 per cent of all the admissions into educational institutes run by the Central Government and 27 per cent of the jobs in Central Government services should be reserved for backward classes. Sir, if you ask me whether we are satsified with 27 per cent. I would say, no. In fact, it is our policy that reservations to backward calsses should be in proportion to their population. But, Sir, Mandal Commission has fixed 27 per cent because of legal obligations. In the famous Balaji case which was delivered in Supreme Court 20 years ago, the court fixed a ceiling that the aggregate reservation should not exceed 50 per cent. That is why, Mandal Commission has fixed 27 per cent of the jobs in Central Government services to be given to the backward classes. But in this context I would say, with all respect to the Supreme Court, that the ceiling of 50 per cent aggregate for all reservations is erroneous because Article 15(4) and 16(4) gives power to the State to embark upon any special provisions for the backward classes. Here, in this case, Supreme Court has usurped powers of the State, powers of the Government and has said that there is a ceiling of 50 per cent and the Government should not go beyond that limit. I can understand if the State makes a mistake or some kind of an act of commission or omission, or it goes beyond the reasonable limits, then the Supreme Court can strike it down. But here, Sir, it is the Supreme Court which has encroached upon the rights of the State, and I would ask you, supposing in a State out of the total population 90 per cent of the people are tribals and backward, can't they make reservations for backward classes say, up to 51 per cent? Sir, I think the judgement of the Supreme Court should be reviewed, because it impinges on the fundamental rights of the citizens, and it will be in the interest of public good that the decision of the Supreme Court fixing a ceiling of 50 per cent for reservations, is reviewed, and I would request the Centre to initiate steps in that direction.

Sir, even the 27 per cent reservation for backward classes in Central Government services and in educational institutions run by them, is meagre. I would say it is inadequate. I would say it is just a peanut. And yet, I welcome this proposal because at least now, let us make a beginning ; let us have some reservations to start with for the backward classes.

What is the attitude of the Government ? Even though the hon. Home Minister will be giving a reply later, we all know what the attitude of the Government is. Sir, it seems, the Government is prevaricating on this issue. On 11th of August, the then Home Minister, Mr. R. Venkataraman in his reply in Lok Sabha, stated : "The economic backwardness would also be considered as one of the criteria while determining backwardness," which is something new. It has never been thought of by Mandal Commission in their report. Now, if what Mr. R. Venkataraman has said, continues to be the policy of this Government, I would say it is just like stabbing in the back of of the backward classes.

If you apply economic tests, it will go against the the provisions of the Constitution. If you take the relevant provisions of the Constitution, namely, articles 15(4) and 340(1), the reference is only to socially and educationally backward classes. Now here it is said in the Constitution that economic backwardness should also be included. Sir, I would like to make it very clear that if you go by economic backwardness, if you apply economic tests, then, it will mean, you are burying the Mandal Commission's Report. I would say with all the emphasis at my command, please reconsider. Sir, Mr. Pant has said that if we could arrive at a formula, without invoking caste, it is very good. It is an ideal situation. We are all for a casteless society. But Sir, the situation is such, we cannot do that, because cast comes in. As Dr. Ambedkar has put it, backward classes mean, those backward communities, those backward castes. We cannot do away with the system because in the name of religion, in the name of God, in the name of sastras and Varnashrama, the backward classes—When I say backward classes, I include the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes also—have been subjected to calculated oppression and habitual submission for centuries. Here, I would like to quote what Dr. Ambedkar has said, when Parliament discussed the First Amendment Bill I quote :—

> "Every Hindu has a caste. He is either a Brahmin or a mahratta or a Kundby or a Kumbhar or a carpenter. There is no Hindu—that is the fundamental position—who has not a caste. Consequently, if you make a reservation in favour of what are called backwardclasses which are nothing else but a collection of certain castes, those who are excluded are peesons who belong to certain castes. Therefore, in the circumstances of this country, it is impossible to avoid reservation without excluding some people who have got a caste."

This is the situation. In this situation, at least for some time to come at least till we attain equality I think, economic consideration should not come in. We have to go by the provisions of the Constitution. It has been very clearly mentioned. It has been clearly mentioned that all these concessions are only for the socially and educationally bakward classes. A

[Shri Muralsoli Maran]

Pandit Nehru said, while moving his amendment, 'Social backwardness is so vast a term that it includes economic backwardness also.' When this is so, we should put a fullstop because the Constitution says so. I would request the hon. Home Minister, Mr. Venkatasubbaiah is here, please do not bring in economic considerations. Otherwise, you will be killing the spirit of the Mandal Commission's Report. Here, I would like to add one thing. For eradication of poverty, you are spending crores of rupees refer to the Five Year Plan documents. Chapters and chapters have been written. There is minimum needs programme and other programmes. Through those various programmes, we want to bring people out of the povertyline. But that is not the point here. I would say, in regard to reservation in the Central services, reservation in the institutions, educational insitutions run by the Central Government, there should not be any economic considerations, but it should be based on the social and educational backwardness.

There is another objection which Mr. Venkataraman has taken, in the Lok Sabha. I quote Mr. Venkataraman's observation.

> "Acceptance of the Report *toto* would not solve the problem of the backward classes but would, in fact, give rise to hundreds of new problems and any number of litigations."

He has already prejudged the issue. If this is the position, if this is what the Government feels, then, it is very clear from this that the Government is not going to accept the Mandal Commission's Report. If this is the attitude, I do not know, wha is the use of discussing it ? He has very clearly said. Not only that. He is anticipating litigations and hundreds of new problems. I do not know what he means by this. This is lack of political will on the part of the Government. This is ambivalence. The Report has been submitted two years back. It is hightime, you come forward with a concrete proposal. Expecting, anticipating, difficulties, would not solve the problem. There is another thing which Mr. Venkataraman has said that he would consult the the States. Here it is really puzzling. Why should they consult the States? Article 15(4) of the Constitution provides that the State can make special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes. Article 16(4) also says : Nothing in this article shall prevent the State from making any provision of the advancement of the backward classes. State means the Central Government as well as the State Government. Now what is the situation? Almost all the States, barring a few, are implementing the reservation clause for the backward classes. Except Rajasthan, Orissa, Delhi and Meghalaya all the 16 States and two Union Territories had notified the list for the grant of educational, employment and other benefits. Almost all the States are giving some or the other reservation. I do not know why you have to consult the States. Of course, there are certain States— I think Madhya Pradesh, West Bengal and Tripura-which have neither identified nor take any steps for the upliftment of the backward classes so far. I would say, instead of calling for a Chief Minister's Conference you may consult the Chief Ministers of Madhya Pradesh, West Bengal and Tripura who have not so far implemented any programme for reservation. So, consulting the Chief Ministers or calling for a Chief Ministers' Conference would be a waste of time. Many of the States are already implementing. So, in order to avoid delay, let the hon. Home Minister

consult the three States, that is Madhya Pradesh, West Bengal and Tripura, who have not identified the backward classes. Then I think we could arrive at some kind of a solution, and that too, a quick solution.

[*The Vice Chairman, Dr. (Shrimati) Najma Heptulla* In the Chair]

Now the question is, who are the backward classes ? I do not want to go into the details of all these things. Madam, Vice-Chairman, in the Constitution the term 'Scheduled Caste and Scheduled Tribe' has been defined, but the definition of the 'Backward classes' has not been given. It has come to be known that the term 'backward classes' include s the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes also, but there are certain other classes of citizens in the this country. (*Time Bell rings*).

SHRI V. GOPALSAMY : Madam, Mr. Maran is making very valid points on this issue.

THE VICE-CHAIRMAN DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA: Everybody makes valid points.

SHRI MURASOLI MARAN : Madam, there are certain classes of citizens in the country who are as backward or less backward than the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Those citizens are also considered as 'other backward classes' and our Constitution has provided certain rights and privileges for them under articles 15(4) and 16(4). When the backward classes of this country are demanding a certain concessions, certain reservations in the Central Government jobs, they are not making a mercy petition , but they are demanding the legitimate claim of their constitutional right given to them under article 15(4) and 16(4). Originally, in article 16(4) there was a provision for reservation in public services, in the Government service only, but later this provision was amended. As certain reservations in educational institutions in the then Madras State effected the Fundamental Rights, people went to the Supreme Court and that reservation was struck down. Madam, I would like to remind you that we are the pioneers, the South is the leader in the matter of reservation. I would like to remind the hon. Minister that during the British regime when there was South Indian Railways, the Madras province used to have reservations in railways for the backward classes. In the Imperial Bank, in all the branches of the then Madras presidency, the backward classes used to have reservation, but suddenly, Madam, after we attained, independence, we got the Constitution, we lost reservation for the backward classes. Then there was agitation in Madras. There was agitation in Tamil Nadu, the then Madras State.

Then Pandit Ji was the Prime Minister. He moved the First Amendment to the Constitution which amended article 15(4) and included : Nothing in this article shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. I would say that if, today the Scheduled castes and the Scheduled Tribes, and backward classes are getting some reservations in the educational institutions, even though it was piloted by Pt Nehru, even though it was given by the Congress Party, it was the gift of the Dravidian movement to all the backward classes and the Scheduled Castes and Tribes of this country.

(Shri Murasoli Moran)

Then, Madam, the question of identification of backward classes comes in. I do not want to go into details. Mr. Venkataraman, When he was a Member of Parliament in the '50s when the First Amendment Bill was moved, had given a categorical answer which is even now relevant. Mr. Venkataraman assured the House that the identification of backward classes would be within the purview of the State Governments who might be trusted to do their job very well. So also when Mandal Commission was sitting , Mr. Shiv Shankar, the then Law Minister and the present Petroleum Minister , suggested that it would be safer to follow the criteria of social and educational backwardness already upheld by the Supreme Court in a number of cases. That the is why I suggest, let us go, by the lists already prepared by the State Governments because they have been almost tested by the Supreme Court, almost tested by all the forums. So I would suggest to the hon. Home Minister that if he goes by the lists prepared by the State Governments, that would save time and the legal difficulties can be be avoided.

Then, Madam, lots of things have been said about efficiency and all that. Heavens will not fall if we make reservations for the other backward classes, because in Tamil Nadu we are having reservations for almost a century. Actually the first reservation was made in 1885.

THE VICE-CHAIRMAN DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA : If you start discussing the whole century...

SHRI MURASOLI MARAN : Madam , I want to be exact. Nothing will happen. Nobody can point a finger at Tamil Nadu and say : "Look, because of reservations, efficiency level has come down." Nothing will happen. In almost all the States—even in Congress -ruled States—they have been having reservations for Harijans and backward classes. For example in Karnataka, you are having 50 per cent reservation for the backward classes. Have the standards come down No. I would also like to ask: who introduced the First Amendment? The Congress Party. You did it. Pandit Nehru piloted it. Therefore, I would beseech the Minister to please do something very quickly otherwise as Mr. Pant has said, there is a ferment developing among the backward classes. I would say it is an awakening. Before they resort to agitational politics, I would request the hon. Home Ministe to be something and do it as quickly as possible. Thank you.

ALLOCATION OF TIME FOR DISPOSAL OF GOVERNMENT AND OTHER BUSINESS

THE VICE-CHAIRMAN : Dr. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA : Now before I call Mr. Matto, I have to make an announcement.

I have to inform Members that the Business Advisory Committee at its meeting held today, the 13th October, 1982 allotted time for